

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001

सं. 6-3(25)/98-ई-3

दिनांक : 27.07.2026

अधिसूचना

विषय: सीएसआईआर मुख्यालय में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदकों के अस्थायी समेकित मेरिट अंक (Tentative Consolidated Merit Point Scores) के संबंध में ।

सीएसआईआर मुख्यालय में समूह 'ग' के रिक्त पदों के विरुद्ध अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए अनुकम्पा नियुक्ति समिति की बैठक दिनांक 09.06.2026 को सीएसआईआर मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई ।

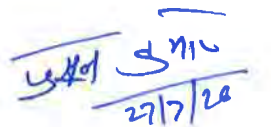
आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विवरण एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अस्थायी समेकित मेरिट अंक तैयार किए गए हैं ।

मेरिट अंकों का निर्धारण सीएसआईआर पत्र संख्या 5-1(41)/2008-PD दिनांक 14.11.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है, जिसकी एक प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है ।

सभी संबंधित आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपने मेरिट अंकों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लें । मेरिट अंक (Merit Point) का विवरण प्रत्येक अभ्यर्थी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है । यदि उपर्युक्त मेरिट अंकों के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अभ्यावेदन हो, तो वह इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 (दस) दिनों के भीतर लिखित रूप में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

यह भी सूचित किया जाता है कि जिन कर्मचारियों का दिसम्बर, 2024 तक निधन हो चुका है तथा जिनके पात्र आश्रितों ने अभी तक अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, वे इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 (दस) दिनों के भीतर अपना आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

निर्धारित अवधि के भीतर यदि कोई अभ्यावेदन/आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपलब्ध कराई गई जानकारी सही है तथा संबंधित आवेदक को उस पर कोई आपत्ति नहीं है ।


27/7/26

(प्रसून कुमार)
उप सचिव (के.का.)

संलग्नक:

1. सभी आवेदकों के समेकित मेरिट अंक (Consolidated Merit Point Scores)
2. सीएसआईआर पत्र संख्या 5-1(41)/2008-PD दिनांक 14.11.2022

अस्थायी समेकित मेरिट अंक/Tentative Consolidated Merit Points Score

S. No.	Name	Marks
1	Smt. Pooja W/o Late Sh. Suresh	85
2	Sh. Mukesh S/o Late Bir Pal Singh	48
3	Md. Arif D/o Late Sh. Abdus Salam	46
4	Sh. Manwar Singh S/o Late Sh. Virender Singh	42
5	Sh. Ravindra Kumar S/o Late Shyam Lal	38
6	Sh. Sanjay S/o Late Munna Lal	35
7	Ms. Seema D/o Late Sh. Bhubneshwar Prasad	31
8	Sh. Pankaj Rawat S/o Late Sh. Raghubir Singh	31
9	Sh. Anurag Negi S/o Late Sh. Kamal Singh Negi	31
10	Sh. Jacob Ekka S/o Late Christopher Ekka	28
11	Sh. Deepak Panwar S/o Late Sh. Srichand Singh	26
12	Smt. Preeti Negi D/o Late Sh. Matbar Singh	22
13	Smt. Sudha Rani, W/o Late Sh. Arvind Kumar Kundalia	22
14	Sh. Piyush Meena S/o Late Sh. Virender Singh	22
15	Sh. Manish Kumar S/o Late Sh. Mohinder Kumar	20
16	Sh. Rajesh Kumar S/o Late Smt. Shakuntla	13



27/12/26

सा०/No. : 5-1(41)/2008-PD

Dated 14.11.2022

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय/ Sub : Consolidated instructions on Scheme for Compassionate Appointment – Point Based Merit System – reg

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

I am directed to forward herewith the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training, Office Memorandum No. 43019/9/2019-Estt.(D) dated 23.08.2021 and Office Memorandum No. 14014/1/2022-Estt.(D) dated 02.08.2022 on the above mentioned subject your information, guidance and compliance.

2. Further, I am to state that with reference to the Para 13 of the Scheme for Compassionate Appointment, the DG, CSIR, based on the recommendations of the Committee, has approved the point-based merit system for assessing the merit of compassionate appointment, which is enclosed as Annexures – I & II.

3. Accordingly, all the Labs/Instts are requested to follow the point based merit system while considering an application for compassionate appointment.

भवदीय/Yours faithfully,

M Arun Manikanda Bharathi 14 Nov 2022

(एम. अरुण मणिकण्ड भारति / M Arun Manikanda Bharathi)

अवर सचिव (नीति प्रभाग)/ Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

1/8

ANNEXURE-I**Relative Merit Points System for Allocation of Points for Various Attributes of
Applicant for Compassionate Appointment in CSIR****Based on 100 Point Scale for Part-C of Annexure-II****(i) Family Pension (basic excluding DR & Allowances)****(20 points)**

Sl. No.	Proposed Slab	Points
1.	Upto 10,000	20
2.	10,001-13,000	18
3.	13,001-16,000	16
4.	16,001-19,000	14
5.	19,001-22,000	12
6.	22,001-25,000	10
7.	25,001-28,000	08
8.	28,001 & above	06

(ii) Terminal benefits i.e. Lump sum amount received by the family on death of Govt. Servant (i.e. DCR Gratuity, GPF/ Lump sum amount under NPS, CGEGIS, Leave encashment etc.):**(10 Points)**

For post 01.01.2016	For pre 01.01.2016 death	Points
Up to 10,00,000	Up to 4,50,000	10
10,00,001-12,00,000	4,50,001-5,25,000	09
12,00,001-14,00,000	5,25,001-6,00,000	08
14,00,001-16,00,000	6,00,001-6,75,000	07
16,00,001-18,00,000	6,75,001-7,50,000	06
18,00,001-20,00,000	7,50,001-8,25,000	05
20,00,001-22,00,000	8,25,001-9,00,000	04
22,00,001-24,00,000	9,00,001-9,75,000	03
24,00,001-26,00,000	9,75,001-10,50,000	02
26,00,001 & above	10,50,001 and above	01

(iii) Annual income of earning members of the family & income from property**(10 Points)**

Sl. No.	Annual Income	Points
1.	Nil to 1,00,000	10
2.	1,00,001 to 3,00,000	08
3.	3,00,001 to 5,00,000	06
4.	5,00,001 to 7,00,000	04
5.	7,00,001 to 9,00,000	02
6.	Above 9,00,000	00

(iv) **Immovable Property**

(10 Points)

Sl. No.	Proposed Slab	Points
1.	Nil	10
2.	Upto 200 Sq ft	08
3.	201 to 400 sq ft	06
4.	401 to 700 sq ft	04
5.	701 to 1100 sq ft	02
6.	1101 or more sq ft	00

(v) **Leftover Service of the deceased council employee**

(15 Points)

Leftover service of deceased	Points	Leftover Service of deceased	Points	Leftover service of deceased	Points
Upto 2 Years	01	Upto 12 Years	06	Upto 22 Years	11
Upto 4 Years	02	Upto 14 Years	07	Upto 24 Years	12
Upto 6 Years	03	Upto 16 Years	08	Upto 26 Years	13
Upto 8 Years	04	Upto 18 Years	09	Upto 28 Years	14
Upto 10 Years	05	Upto 20 Years	10	Upto 30 Years & above	15

(vi) **Number of unmarried daughters**

(10 Points)

Sl. No.	No. of Unmarried daughters	Points
1.	01	05
2.	02 & above	10

(vii) **Number of dependent minor children**

(05 Points)

Sl. No.	No. of minor dependent children	Points
1.	01	03
2.	02 & above	05

(viii) If Wife of the deceased Govt. official has applied for compassionate appointment for herself.

(10 Points)

(ix) If one or more person amongst the dependent family members is disabled.

(10 Points)

Sl. No.	Percentage Disability	Points
1.	Up to 40 %	04
2.	40-60 %	06
3.	60-80 %	08
4.	80-100 %	10

Total Points – 100

Mukul 3/8

Annexure-II

**FORM FOR SEEKING COMPASSIONATE APOINTMENT BY DEPENDENTS OF COUNCIL
EMPLOYEE DECEASED WHILE IN SERVICE/ RETIRED ON MEDICAL GROUNDS.**

PART-A

I.	(a)	Name of the council employee (Deceased/Retired on medical grounds)	
	(b)	Designation of the Council employee	
	(c)	Whether he/she was MTS (erstwhile Group 'D')	
	(d)	Date of joining of the Council employee	
	(e)	Date of Death/retirement on medical grounds	
	(f)	Total length of service rendered	
	(g)	Whether permanent or temporary	
	(h)	Whether belonging to SC/ST/OBC	
II.	(a)	Name of the candidate for appointment	
	(b)	His / Her relationship with council employee	
	(c)	Date of Birth	
	(d)	Educational Qualification	
	(e)	Whether any other dependent family member has been appointed on compassionate grounds.	

III.	Particulars of total assets left including amounts of		
	(a)	Family Pension	
	(b)	D.C.R Gratuity	
	(c)	G.P.F. Balance	
	(d)	Life Insurance Policies (including Postal Life Insurance)	
	(e)	Movable and Immovable properties and annual income earned therefrom by family.	
	(f)	C.G.E. Insurance amount	
	(g)	Encashment of leave	
	(h)	Any other assets	
	TOTAL:		
IV.	Brief particulars of Liabilities if any		

Handwritten signature

5/8

V.	Particulars of all dependent family members of the Council employee (if some are employed, their income and whether they are living together or separately)					
Sl. No.	Name(s)	Relation Ship with Council employee	Age	Address	Employed or not (if employed, particulars of employment and emoluments)	Marital Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						

VI. DECLARATION/UNDERTAKING

- 1 I hereby declare that the facts given by me above are, to the best of my knowledge, correct. If any of the facts herein mentioned are found to be incorrect or false at a future date, my services may be terminated.
- 2 I hereby also declare that I shall maintain properly the other family members who were dependent on the Government Servant / member of the Armed Forces mentioned against I (a) of Part-A of this form and in case, it is proved at any time that the said family members are being neglected or not being properly maintained by me, my appointment may be terminated.

Date:

Signature of the Candidate

Name: _____

Address: _____



6/8

PART-B

(TO BE FILLED IN BY OFFICE IN WHICH EMPLOYMENT IS PROPOSED)

- a) Name of the candidate _____
- b) His/ Her relationship with the Council employee _____
- c) Age (Date of Birth), educational
Qualifications and experience, if any _____
- d) Post (Group C) for which employment is
proposed _____
- e) Whether there is vacancy within the ceiling of 5 % prescribed under the scheme of
Compassionate Appointment. _____
- f) Whether the post to be filled
in the Clerical Services or not _____
- g) Whether the relevant Recruitment Rules
provide for direct recruitment _____
- h) Whether the candidate fulfils
requirements of the Recruitment
Rules for the post _____
- i) Apart from wavier of Employment
Exchange/Staff Selection commission
procedure what other relaxation are to
be given. _____
- I) Whether the facts mentioned in Part-A
have been verified by the office and
if so, indicate the records _____
- II) If the Council employee died/retired on
medical grounds more than 5 years' back
why the case was not sponsored earlier. _____
- III) Personal recommendation of the Head of _____
the Department (with his signature and office stamp/seal)

 7/8

PART – C**Relative Merit Points Assessment On A 100 Point-Scale for Compassionate Appointment**

Sl. No.	Parameters	Point allotted to the parameters	Points scored by the candidate
1.	Family Pension (Excluding DR & Allowance)	20	
2.	Terminal benefits i.e. Lump sum amount received by the family on death of Council employees (i.e. DCR Gratuity, GPF/Lump sum amount under NPS, CGEGIS, Leave encashment etc.	10	
3.	Annual income of earning members and income from property	10	
4.	Immovable property	10	
5.	Leftover service of the deceased Government Employee	15	
6.	Number of unmarried daughters	10	
7.	Number of dependent minor children	05	
8.	If wife of the deceased Council official has applied for compassionate appointment for herself	10	
9.	If one or more person(s) amongst the dependent family members is disable (with % of disability)	10	
	TOTAL	100	

Subul 8/8

फा. सं. 43019/9/2019-स्था.(घ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 23 अगस्त, 2021

कार्यालय ज्ञापन

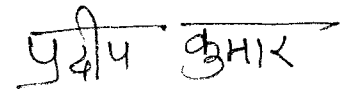
विषय : अनुकंपा नियुक्ति पर समेकित निर्देश-पैरा 13 के प्रतिस्थापन के बारे में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के अधीन अनुकंपा पर नियुक्ति पर समेकित निर्देश इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/2/2012-स्था.(घ) दिनांक 16.01.2013 द्वारा जारी किए गए थे। इन समेकित निर्देशों का पैरा 13 मंत्रालय/विभागों के सक्षम प्राधिकारियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाले अनुरोधों/आवेदनों पर कार्रवाई करने और मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऐसे अनुरोधों/आवेदनों के निपटान के लिए दिशा निर्देश का उपबंध करता है।

2. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अनुकंपा नियुक्ति के दावों को संसाधित करने में शामिल प्रक्रिया और तौर तरीको से संबंधित पत्र प्राप्त हुए हैं। विभिन्न सरकारी कार्यालयों द्वारा ऐसे दावों को संसाधित करने में एकरूपता की कमी भी केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों सहित न्यायालयों की जाँच के दायरे में आई है। परिणामस्वरूप, और अधिक निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के साथ-साथ अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाले अनुरोधों/आवेदनों के निपटान में प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की माननीय जबलपुर पीठ ने ओ.ए.संख्या 202/00756/2017 दीपांशु राजे बनाम भारत संघ व अन्य में अपने आदेश, दिनांक 26.09.2019 में अन्य बातों के साथ सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को संशोधित दिशानिर्देश जारी करने का निदेश दिया था, ताकि अनुकंपा नियुक्ति के दावों को संशोधित करने में और प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता तथा ईमानदारी लाई जा सके।

3. अतः, सावधानीपूर्वक जाँच के बाद, जैसा कि कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16.01.2013 में उपबंधित किया गया है, प्रमुख हितधारक मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से कार्यविधि की समीक्षा की गई। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि समेकित निर्देशों के मौजूदा पैरा 13 (का.ज्ञा. दिनांक 16.01.2013) को **परिशिष्ट** में दिए गए संशोधित पैरा 13 से प्रतिस्थापित किया जाए।

4. सभी मंत्रालय/विभाग इन संशोधित निर्देशों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी कार्यालयों में परिचालित करें और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मांगने के अनुरोध/आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो इन दिशा-निर्देशों को अनुपूरित करने के लिए विभागीय अनुदेश भी जारी करें।



(प्रदीप कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23040339

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)

प्रति :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय/ उप राष्ट्रपति सचिवालय / प्रधानमंत्री कार्यालय/ मंत्रिमंडल सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय / संघ लोक सेवा आयोग / सीवीसी/ सीएंडएलसी/ कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
2. महापंजीयक, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
3. महापंजीयक, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली।
4. सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली।
5. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालय, नई दिल्ली।
6. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
7. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली।
8. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली।
9. सचिव, स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13 सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
10. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी और अनुभाग।
11. एनआईसी (डीओपीटी) इसे कार्यालय ज्ञापन को डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रदीप कुमार

(प्रदीप कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दिनांक 23 अगस्त, 2021 के ओ.एम. सं. 43019/9/2019-स्था.(घ) का परिशिष्ट

13. **कार्यविधि** (मौजूदा अनुच्छेद 13 का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16.01.2013 निम्नानुसार प्रतिस्थापित है।)
- i) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में कल्याण अधिकारी या एक वरिष्ठ अधिकारी को मृत सरकारी सेवक के परिजनों से मिलने तथा परिवार को अपलब्ध टर्मिनल लाभों के बारे में सूचित करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यह जल्द से जल्द संभव समय पर, या अधिमानतः, मृत्यु के 30 दिनों के भीतर किया जा सकता है।
 - ii) यदि कल्याण अधिकारी या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी यह अनुभव करता है कि दिवंगत सरकारी सेवक के परिवार की स्थिति निर्धन है, तो अनुकम्पा नियुक्ति के लिए स्कीम से परिवार को अवगत कराया जाना चाहिए।
 - iii) ऐसे मामलों में कल्याण अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने में सहयोग करेगा। आवेदन अनुलग्नक में नियत प्रारूप में किया जाना चाहिए। अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन फार्म भरने में समर्थ बनाने में ऐसे पारिवारिक सदस्य को सभी सहयोग उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आवेदक द्वारा जिन अपेक्षाओं एवं औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है, इसकी जानकारी उसे व्यक्तिगत रूप से दी जानी चाहिए। आवेदक को उन पदों की भी जानकारी दी जानी चाहिए, जिन पदों के लिए वह आवेदन कर सकता है।
 - iv) आवेदन प्रपत्र में भरे गए विवरण और पारिवारिक आय और आवेदन प्रक्रिया को करने के लिए हिसाब में लिए गए अन्य विवरणों की यथार्थता के संदर्भ में प्रशासन स्वयं को संतुष्ट करेगा। यदि कोई ऐसे अतिरिक्त विवरण या सूचना सामने आती है, जिसका मामले पर प्रभाव पड़ सकता है, तो उसे आवेदन के साथ अनुपूरक नोट के रूप में संलग्न किया जाना चाहिए।
 - v) प्रत्येक आवेदन, जिसे सही पाया जाता है, को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या दे कर पावती देना चाहिए। सभी लंबित आवेदनों के लिए भी विशिष्ट पंजीकरण संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। यह 2-3 हफ्तों के समय में किया जा सकता है। एक बार जब किसी आवेदन के लिए विशिष्ट आवेदन संख्या निर्धारित कर दी जाती है, तो आवेदक को, जिनका आवेदन विलंबित है, उनको शामिल करते हुए, उसकी विशिष्ट पंजीकरण संख्या की जानकारी ईमेल या अन्य संचार माध्यमों (संचार के डिजिटल माध्यमों सहित) के जरिए दी जानी चाहिए।
 - vi) कुछ विभागों जैसे सी.बी.आई.सी., डाक विभाग, रक्षा विभाग ने अनुकम्पा नियुक्ति के दावों को निपटाने के लिए अपनी स्वयं की प्वाइंट आधारित मेरिट प्रणाली निर्धारित की है। ऐसे दावों के निपटान में पारदर्शिता एवं वस्तुनिष्ठता लाने के लिए सभी मंत्रालय/विभाग, जिन्होंने अभी तक ऐसी व्यवस्था विकसित नहीं की है, अनुकम्पा नियुक्ति के दावों की मेरिट के आकलन हेतु अपनी अलग प्वाइंट आधारित मेरिट प्रणाली निर्धारित कर सकते हैं।

प्रदीप कुमार

- vii) आवेदकों को उनके आवेदन की पंजीकरण संख्या की सूचना देते समय अनुकम्पा के आधार पर भरे जाने के लिए उपलब्ध होने वाली रिक्तियों की संभावित संख्या के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, साथ ही प्वाइंट आधारित मेरिट प्रणाली की एक प्रति भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- viii) विभिन्न आवेदनों पर विचार करने तथा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत आवेदक की सिफारिश करने हेतु एक समिति, जिसमें 3 सदस्य (एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य), गठित की जा सकती है। समिति की अध्यक्षता, मंत्रालय/विभाग में निदेशक/उप सचिव रैंक के किसी अधिकारी तथा संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के मामलों में समान रैंक के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है।
- ix) लंबित आवेदनों के साथ-साथ, पिछले कैलेंडर वर्ष में प्राप्त समस्त नए आवेदनों पर विचार करने के लिए, समिति की वर्ष में संभवतः एक बैठक होगी। यदि कैलेंडर वर्ष के दौरान अलग-अलग समय पर ज्यादा बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं तो आवेदनों पर विचार करने के लिए, समिति दो अथवा ज्यादा बैठकें कर सकती है।
- x) समिति की प्रत्येक बैठक से पूर्व, जिन आवेदकों के आवेदनों पर विचार किया जा रहा है उन्हें, प्रत्येक ग्रेड में, जिस हेतु उनके नाम पर विचार किया जा रहा है, रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ उनके आवेदन पर विचार करने हेतु समिति की बैठक के आयोजन का नियत दिनांक भी ई-मेल अथवा संचार के माध्यमों (संचार के डिजिटल माध्यमों सहित) द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। हालांकि आवेदकों को प्रशासन अथवा समिति दोनों के ही साथ कोई व्यक्तिगत वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं होगी और समिति की बैठक के दौरान आवेदकों की उपस्थिति भी आवश्यक नहीं है।
- xi) प्रत्येक वैध आवेदन का संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग द्वारा बनाए गए प्वाइंट आधारित मेरिट सिस्टम के आधार पर सख्ती से मूल्यांकन किया जाएगा।
- xii) अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु, प्वाइंट आधारित मेरिट सिस्टम के तहत प्रत्येक आवेदक द्वारा प्राप्त किए गए कुल प्वाइंटों के आधार पर समिति को अपनी सिफारिश करनी चाहिए।
- xiii) चयन के प्रत्येक चरण का परिणाम आवेदकों को बताया जाना चाहिए। प्रत्येक मापदंड हेतु प्रदत्त अंकों के साथ साथ कुल अर्जित मेरिट अंकों की सूचना भी, आवेदकों को ईमेल अथवा संचार के अन्य माध्यमों द्वारा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
- xiv) प्रत्येक आवेदक द्वारा अर्जित मेरिट प्वाइंटों सहित समिति की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त, समिति की बैठक के आयोजन की दिनांक से 3 सप्ताह के भीतर, मंत्रालय/विभाग/संगठन की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में सभी संबंधितों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- xv) समिति की सिफारिशों को, निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाना चाहिए। यदि सक्षम प्राधिकारी, समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं है तो मामला निर्णय हेतु अगले उच्च प्राधिकारी को प्रेषित किया जा सकता है।

पुदीप कुमार

सेवा में रहने के दौरान मरने वाले/अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के आश्रितों के नियोजन के संबंध में प्रपत्र

भाग - क

- (क) सरकारी सेवक का नाम (मृत/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त)
- (ख) सरकारी सेवक का पदनाम
- (ग) क्या वह एमटीएस है (पूर्वती समूह 'घ-') या नहीं?
- (घ) सरकारी सेवक की जन्म की तारीख
- (ङ) मृत्यु/चिकित्सा आधारों पर सेवानिवृत्ति की तारीख
- (च) की गई सेवा की कुल अवधि
- (छ) क्या स्थायी है अथवा अस्थायी
- (ज) क्या अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित हो
- II. (क) नियुक्ति हेतु उम्मीदवार का नाम
- (ख) सरकारी सेवक के साथ उसका संबंध
- (ग) जन्म की तारीख
- (घ) शैक्षणिक योग्यताएं
- (ङ) क्या आश्रित परिवार का कोई अन्य सदस्य अनुकंपा आधार पर नियुक्त हुआ है
- III. निम्नलिखित की राशि सहित छोड़ी गई कुल परिसंपत्ति का ब्यौरा
- (क) परिवार पेंशन
- (ख) डी.सी.आर. ग्रेच्युटी
- (ग) जी.पी.एफ. शेष
- (घ) जीवन बीमा पॉलिसियां (डाक जीवन बीमा सहित)
- (ङ) चल और अचल संपत्तियां तथा उनसे परिवार द्वारा अर्जित वार्षिक आय
- (च) सीजीई बीमा राशि
- (छ) छुट्टी नकदीकरण
- (ज) अन्य कोई परिसंपत्तियां।
- कुल
- IV. देयताओं, यदि कोई हों, का संक्षिप्त ब्यौरा
- V. सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के सभी सदस्यों का ब्यौरा (यदि कुछ नियोजित हैं तो उनकी आय क्या वे साथ रह रहे हैं या अलग रह रहे हैं)

क्र.सं.	नाम	सरकारी सेवक के साथ संबंध	आयु	पता	नियोजित है या नहीं यदि नियोजित है तो नियोजन और परिलब्धियों का ब्यौरा
1.					
2.					
3.					

VI. घोषणा उपक्रम/

- मैं, एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए तथ्य मेरी पूरी जानकारी के आधार पर सही हैं। यदि यहां उल्लिखित कोई भी तथ्य भविष्य की किसी तारीख को गलत या झूठे पाए जाते हैं, तो मेरी सेवाएं बर्खास्त कर दी जाएं।
- मैं, एतद्वारा यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं इस प्रपत्र के भाग-क के 1(क) के सामने उल्लिखित सरकारी सेवक/सशस्त्र बलों के सदस्य पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों की समुचित रूप से देखभाल करूंगा और किसी भी समय पर यदि यह प्रमाणित होता है कि उक्त परिवार के सदस्य की मेरे द्वारा उपेक्षा की जा रही है या उचित रूप से देखभाल नहीं की जा रही है, तो मेरी नियुक्ति को बर्खास्त कर दिया जाए।

दिनांक

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम

पता

मोबाइल नं.

ईमेल आईडी

भाग (ख)

(कार्यालय द्वारा भरा जाए जिसमें रोजगार प्रस्तावित है)

I.

क) नियुक्ति हेतु उम्मीदवार का नाम -----

ख) सरकारी सेवक के साथ उसका/उसकी संबंध -----

ग) आयु (जन्म तिथि), शैक्षिक योग्यता और अनुभव, यदि कोई हो -----

घ) पद (समूह ग) जिसमें पद प्रस्तावित है -----

ड) क्या अनुकम्पा नियुक्ति की योजना के अंतर्गत
निर्धारित 5% सीलिंग के अन्दर उस पद में कोई रिक्त पद है? -----

च) क्या भरे जाने वाला पद केन्द्रीय सचिवालय क्लरिकल सेवा
में शामिल है या नहीं? -----

छ) क्या प्रासंगिक भर्ती नियम सीधी भर्ती प्रदान करते हैं? -----

ज) क्या उम्मीदवार पद के लिए भर्ती नियमों की आवश्यकताएं पूरा करता है? -----

झ) रोजगार कार्यालय/कर्मचारी चयन आयोग की प्रक्रिया में
छूट के अलावा अन्य कौन से छूट दिए जाते हैं? -----

II. भाग 'क' में उल्लिखित तथ्यों का कार्यालय द्वारा
सत्यापन किया गया है, क्या यदि हां तो, रिकॉर्ड इंगित करें -----

III. यदि सरकारी सेवक चिकित्सा आधार पर 5 वर्ष से
पहले सेवानिवृत्त हो गया/मर गया तो प्रारम्भ में ही
यह मामला क्यों नहीं प्रायोजित की गई। -----

IV. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में विभागाध्यक्ष का व्यक्तिगत
सिफारिश (उनके हस्ताक्षर तथा कार्यालय स्टाम्प/मुहर के साथ) -----

F. No. 43019/9/2019-Estt.(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi,
Dated the 23rd August, 2021

Office Memorandum

Sub: - Consolidated instructions on compassionate appointment – Replacement of Para 13 - regarding.

The undersigned is directed to say that consolidated instructions on compassionate appointment under the Central Government were issued vide this Department's O.M. No. 14014/2/2012-Estt. (D) dated 16.1.2013. Para 13 of these consolidated instructions provides guidelines to the competent authorities in Ministries/Departments for dealing with requests/ applications seeking appointment on compassionate grounds and disposal of such requests/ applications thereof by the Ministries/Departments.

2. References have been received from different Ministries/ Departments relating to the procedure and modalities involved in processing claims of compassionate appointment. The lack of uniformity in processing such claims by different Government offices, has also come under scrutiny of the Courts, including Central Administrative Tribunals. As a result, a need has been felt to bring in more objectivity and transparency as well as streamline the process in dealing with requests/Applications seeking compassionate appointment. The Hon'ble Jabalpur Bench of the Central Administrative Tribunal, in its Order dated 26.9.2019, in O.A. No. 202/00756/2017 of Deepanshu Raje v/s Union of India & Others, *inter-alia*, directed Secretary, Department of Personnel and Training, to issue revised guidelines, so as to bring in more transparency and probity in the system in processing the claims of Compassionate Appointment.

3. Therefore, after careful examination, the procedure, as provided in O.M. dated 16.1.2013, has been reviewed in consultation with the major stakeholder Ministries/Departments. Accordingly, it has been decided to substitute existing Para 13 of the consolidated instructions (OM dated 16.1.2013), with revised Para 13 given in Appendix.

4. All Ministries/Departments may circulate these revised instructions to all offices under their administrative control and also issue, wherever necessary, departmental instructions for supplementing these guidelines, for dealing with requests/applications seeking appointment on compassionate grounds.

Pradeep Kumar
23/08/2021

(Pradeep Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 23040339

To,

All Ministries/Department of Government of India (as per standard list)

Copy to:

1. President's Secretariat/Vice-President's Secretariat/Prime Minister's Office/Cabinet Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Lok Sabha Secretariat/UPSC/CVC/C&AG/SSC, New Delhi.
2. The Registrar General, Supreme Court of India, New Delhi.
3. The Registrar, Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi.
4. Central Information Commission, Baba Gangnath Marg, Munirka, New Delhi-110067.
5. All attached/subordinate offices of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
6. National Commission for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, New Delhi.
7. National Commission for Minorities, New Delhi.
8. National Commission for OBCs, New Delhi.
9. Secretary, Staff Side, National Council (JCM), 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi
10. All Officers and Sections in the Department of Personnel and Training.
11. NIC (DOP&T) for placing this OM on the website of DOP&T
12. Hindi Section, DOPT for Hindi version.

Pradeep Kumar
23/08/2021

(Pradeep Kumar)

Under Secretary to the Government of India

APPENDIX TO O.M. No. 43019/9/2019-Estt.(D) DATED 23rd August, 2021

13. **PROCEDURE** (existing para 13 of OM dated 16.1.2013 stands substituted as follows)

- i) The Welfare Officer in each Ministry/Department/Office or a senior officer may be deputed to meet the family members of the deceased Government Servant and apprise them of the terminal benefits available to the family. This may be done at the earliest possible, preferably, within 30 days of death.
- ii) In case it is observed by the Welfare Officer/Senior Officer that the condition of the family of the deceased Government Servant is indigent, the family should also be apprised of the scheme for compassionate appointment.
- iii) In such cases, the Welfare Officer or any other Officer would assist the family member of the deceased Government servant in applying for appointment on compassionate grounds. The application should be made in the format prescribed as in Annexure. All assistance should be extended to enable such family member to fill the Application Form for compassionate appointment. The Applicant should be advised in person about the requirements and formalities to be completed by him. The Applicant should also be given detailed information of the posts to which they can apply.
- iv) The Administration shall satisfy itself regarding the correctness of the details entered in the Application form and family income and other details computed for processing the Application. During scrutiny, if any additional details or information having a bearing on the case, emerge, the same should be added as supplementary Note to the Application.
- v) Every application found to be in order, should be acknowledged by assigning a unique Registration number. All pending Applications should also be assigned unique registration number. This may be done within 2 to 3 weeks of time. Once a unique registration number has been assigned to an application, the Applicant, including those whose applications are pending, may be informed through email or other forms of communication (including digital modes of communication) of their Unique Application Registration Number.
- vi) Some Departments such as CBIC, D/o Posts, D/o Defence have devised their own point based merit system, for processing claims for compassionate appointment. In order to bring in transparency and objectivity in dealing with such claims, all Ministries/Departments, who have not yet developed such a system, may do so by devising their own point based merit system for assessing the merit of the claims of compassionate appointments.
- vii) While informing the Applicants of the registration number of their Application, they may also be informed of the likely number of vacancies likely to be available to be filled on compassionate grounds as well as be provided with a copy of the point based merit system.
- viii) To consider the various applications and to recommend individual applicant for grant of compassionate appointment, a Committee, comprising three members (one Chairman and two Members), may be constituted. The Committee may be chaired by an Officer not below the rank of Director/Deputy Secretary in the Ministry/Department and officers of equivalent rank in the case of attached and subordinate offices.

Pradeep Kumar

- ix) The Committee may preferably meet once in a year, to consider all fresh requests received in the last calendar year, in addition to pending applications. In case large number of applications are received at different times during the calendar year, the Committee may meet twice or more to consider the applications.
- x) Prior to every meeting of the Committee, the Applicants whose applications are being considered, should be informed, through email or other forms of communication (including digital modes of communication), of the number of vacancies in each grade for which they are being considered as also the date the Committee is due to meet to consider their Application. However, the Applicant(s) would not be required to have any personal interaction, either with the Administration or the Committee and that the Applicants may not be asked to be present during the meeting of the Committee.
- xi) Every valid application shall be assessed strictly on the basis of the point based merit system formulated by the concerned administrative Ministry/Department.
- xii) The Committee should make its recommendation for appointment on compassionate ground as per the total points obtained by each Applicant, under the applicable point based merit system.
- xiii) The result of each round of selection should be communicated to the Applicants. The points awarded against each parameter alongwith total merit points earned, should be provided to the Applicants through email or other forms of communication.
- xiv) The minutes of each meeting of the Committee including the merit points earned by each Applicant should also be placed, within a period of three weeks from the date of meeting of the Committee, in public domain on the website of the Ministry/Department/Organisation for information of all concerned.
- xv) Recommendation of the Committee should be placed before the competent authority for a decision. If the competent authority disagrees with the committee's recommendation, the case may be referred to the next higher authority for a decision.

Pradeep Kumar

**PROFORMA REGARDING EMPLOYMENT OF DEPENDENTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING WHILE IN
SERVICE/RETIRED ON INVALID PENSION**

PART-A

- I. (a) Name of the Government servant (Deceased/retired on medical ground)
- (b) Designation of the Government Servant
- (c) Whether it is MTS(erstwhile Group 'D') or not?
- (d) Date of Birth of the Government Servant
- (e) Date of death/retirement on medical grounds
- (f) Total length of Service rendered
- (g) Whether permanent or temporary
- (h) Whether belonging to SC/ST/OBC
- II. (a) Name of the candidate for appointment
- (b) His/Her relationship with the Government Servant
- (c) Date of Birth
- (d) Educational Qualifications
- (e) Whether any other dependent family member has been appointed on
Compassionate grounds
- III. Particulars of total assets left including amount of
- (a) Family Pension
- (b) D.C.R. Gratuity
- (c) G.P.F. Balance
- (d) Life Insurance Policies (including Postal Life Insurance)
- (e) Moveable and Immovable properties & annual income earned therefrom
by the family.
- (f) C.G.E. Insurance amount
- (g) Encashment of leave
- (h) Any other assets
- Total**
- IV. Brief particular of liabilities, if any.
- V. Particulars of all dependent family members of the Government servant (if
Some are employed, their income and whether they are living together or separately

S.No.	Name(s)	Relationship with Govt. servant	Age	Address	Employed or not if employed particulars of employment and emoluments)
1					
2					
3					

VI. Declaration/Undertaking

1. I hereby declare that the facts given by me above are, to the best of my knowledge, correct. If any of the facts herein mentioned are found to be incorrect or false at a future date, my services may be terminated.
2. I hereby also declare that I shall maintain properly the other family members who were dependent on the Government servant/Member of the Armed Forces mentioned against 1(a) of Part-A of this form and in case it is proved at any time that the said family members are being neglected or not being properly maintained by me, my appointment may be terminated.

Date:

Signature of the Candidate

Name.....

Address.....

Mobile No.....

Email ID.....

PART-B

(TO BE FILLED IN BY OFFICE IN WHICH EMPLOYMENT IS PROPOSED)

- I. (a) Name of the candidate for Appointment. _____
- (b) His/Her relationship with the Government servant. _____
- (c) Age (date of birth), educational qualifications and experience, If any. _____
- (d) Post (Group C) which employment is Proposed _____
- (e) Whether there is vacancy in that post within the ceiling of 5% prescribed under the scheme of compassionate appointment. _____
- (f) Whether the post to be filled is included in the Central Secretariat Clerical Service or not. _____
- (g) Whether the relevant Recruitment Rules provide for direct recruitment. _____
- (h) Whether the candidate fulfils the requirements of the Recruitment Rules for the post. _____
- (i) Apart from waiver of Employment Exchange/Staff Selection Commission procedure what other relaxation are to be given. _____
- (II) Whether the facts mentioned in Part-A have been verified by the office and if so, indicate the records. _____
- (III) If the Government servant died/retired on medical grounds more than 5 years back, why the case was not sponsored earlier. _____
- (IV) Personal recommendation of the Head of the Department in the Ministry/Department/Office.
(With his signature and office Stamp/seal) _____

फा. सं. 14014/1/2022-स्था(घ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

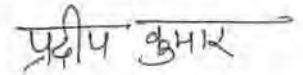
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 02 अगस्त, 2022

कार्यालय जापन

विषय : अनुकंपा नियुक्ति स्कीम पर मुख्य परिपत्र के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 16.01.2013 के का.जा.सं. 14014/02/2012-स्था.(घ) के माध्यम से "केंद्र सरकार के तहत अनुकंपा नियुक्ति" के लिए स्कीम के संबंध में समेकित अनुदेश जारी किए गए थे। इसके पश्चात केंद्र सरकार के तहत अनुकंपा नियुक्तियों के संबंध में कतिपय अनुदेश जारी किए गए हैं। इस प्रमुख परिपत्र में सुलभ संदर्भ के लाभ हेतु एक आसानी से समझने योग्य शीर्षक के तहत अभी तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित कर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पैरा के नीचे संगत कार्यालय जापन की संख्या और तिथि का उल्लेख किया गया है। इस संगत का.जा. को इस विभाग की वेबसाइट <https://dopt.gov.in> पर अधिसूचना-का.जा. और आदेश-13 स्थापना-अनुकंपा नियुक्ति शीर्षक के तहत देखा जा सकता है।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इसे सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्यवाई हेतु सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।



(प्रदीप कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार
फो.नं. 23040339

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रति:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. महारजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
7. महारजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
9. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
10. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।

11. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय।
12. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।
13. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
14. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली।
15. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली।
16. स्थापना अधिकारी और अपर सचिव।
17. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी और अनुभाग।
18. सुविधा केंद्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (20 प्रातियां)।
19. एनआईसी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), इस कार्यालय जापन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए।
20. स्थापना अनुभाग (200 प्रातियां)।

प्रदीप कुमार

(प्रदीप कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

अनुकंपा नियुक्ति की स्कीम

1. उद्देश्य

इस स्कीम का उद्देश्य सेवाकाल के दौरान दिवंगत होने वाले अथवा चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान कर उसके परिवार को वित्तीय संकट से उबारना और आपातकालीन स्थिति से निपटने में मदद करना है, जो उक्त कारणों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो और जिसके पास आजीविका का कोई साधन न हो।

2. किस पर लागू होगा

आश्रित पारिवारिक सदस्य के लिए -

(क) किसी सरकारी सेवक के, जो

(क) सेवा करते हुए दिवंगत हो गया हो (इसमें आत्महत्या द्वारा मृत्यु शामिल है); अथवा

(ख) जो सीसीएस (चिकित्सा परीक्षा) नियमावली, 1957 के नियम 2 के तहत अथवा 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व (पूर्ववर्ती समूह 'घ' सरकारी सेवकों के लिए 57 वर्ष) केंद्रीय सिविल सेवा विनियमावलियों में तदनुसूची प्रावधान के तहत चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुआ हो; अथवा

(ग) जो सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 38 के तहत अथवा 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व (पूर्ववर्ती समूह 'घ' सरकारी सेवकों के लिए 57 वर्ष) केंद्रीय सिविल सेवा विनियमावलियों में तदनुसूची प्रावधान के तहत चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुआ हो; अथवा

(ख) सशस्त्र बल का ऐसा सदस्य हो जो-

(क) सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुआ हो; अथवा

(ख) कार्यवाही में मारा गया हो; अथवा

(ग) जिसे चिकित्सकीय आधार पर हटा दिया गया हो और वह सिविल रोजगार के लिए अयोग्य हो गया हो।

टिप्पणी I "आश्रित पारिवारिक सदस्य" का अर्थ है:

(क) जीवन साथी; अथवा

(ख) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित); अथवा

(ग) पुत्री (दत्तक पुत्री सहित); अथवा

(घ) अविवाहित सरकारी सेवक के मामले में भाई अथवा बहन

(ङ) इस पैरा के (क) अथवा (ख) में उल्लिखित सशस्त्र बल का ऐसा सदस्य,

-- जो सरकारी सेवक पर पूर्णतया आश्रित था/सेवाकाल के दौरान मृत्यु के समय सशस्त्र बलों का सदस्य था अथवा चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो गया था, जैसा भी मामला हो।

टिप्पणी II

"सरकारी सेवक" का इन अनुदेशों के प्रयोजनार्थ अर्थ ऐसे सरकारी सेवक से है जिसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था और जो दैनिक मजदूरी अथवा अनियत कर्मचारी अथवा प्रशिक्षु अथवा तदर्थ अथवा संविदा अथवा पुनःनियोजन आधार पर कार्य नहीं कर रहा हो।

- टिप्पणी III** "स्थायी कार्य-प्रभारित स्टॉफ" को भी उपर्युक्त टिप्पणी II में उल्लिखित "सरकारी सेवक" शब्दावली से शामिल किया जाएगा।
- टिप्पणी IV** "सेवा" में किसी सिविल पद में सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवाकाल का विस्तार (परंतु पुनर्नियोजन नहीं) शामिल होगा।
- टिप्पणी V** "पुनर्नियोजन" में किसी सिविल पद में सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु से पूर्व पूर्व-सैनिकों का नियोजन शामिल नहीं होगा।

3. अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

- (क). संबंधित मंत्रालय/विभाग में प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव।
(ख). संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में अनुपूरक नियम 2(10) के तहत विभाग प्रमुख।
(ग). विशेष प्रकार के मामलों में संबंधित मंत्रालय/विभाग में सचिव।

4. वे पद जिनमें ऐसी नियुक्तियां की जा सकती हैं

सीधी भर्ती कोटा के लिए समूह 'ग' पद।

5. पात्रता

- (क). परिवार दरिद्र हो और वित्तीय तंगी से राहत के लिए तत्काल सहायता का पात्र हो; तथा
(ख). अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदक संगत भर्ती नियमों के प्रावधानों के तहत सभी दृष्टि से पद के लिए पात्र और उपयुक्त होना चाहिए।

6. क. छूट

अनुकंपा नियुक्तियों में निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करने से छूट दी गई है:-

- (क) भर्ती प्रक्रिया अर्थात् कर्मचारी चयन आयोग अथवा रोजगार कार्यालय की एजेंसी के बिना।
(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधिशेष प्रकोष्ठ (सरप्लस सेल) से अनुमति।
(ग) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा जारी किए गए पद भरने के संबंध में प्रतिबंध।

ख. शिथिलीकरण

- (क) जहां कहीं आवश्यक हो, ऊपरी आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है। तथापि, किसी भी मामले में, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष की आयु से कम करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए।

टिप्पणी I आयु की पात्रता का निर्धारण आवेदन की तारीख के संदर्भ में होगा और न कि नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में।

टिप्पणी II किसी मामले में अनुकंपा नियुक्ति करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने वाला सक्षम प्राधिकारी ही ऐसी नियुक्ति करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान करने के लिए सक्षम होगा।

- (ख) अपवादिक परिस्थितियों में सरकार, न्यूनतम शैक्षणिक मानकों को तत्काल पूरा नहीं करने वाले व्यक्तियों की भर्ती करने पर विचार कर सकती है। सरकार उन्हें प्रशिक्षु के रूप में लगा सकती है, जिन्हें केवल भर्ती नियमों के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अर्जित करने पर ही नियमित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन प्रदान किए जाएंगे। इन प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि के दौरान तथा सरकार में कर्मचारी के रूप में आमेलित होने से पूर्व, उनकी परिलब्धियां वेतन स्तर-1 (18,000-56,900 रु.) (पूर्व संशोधित-1 एस वेतन बैंड) (न्यूनतम) के सबसे कम/प्रथम प्रकोष्ठ (न्यूनतम) के समान होंगी। इसके अलावा, उन्हें सभी लागू भते जैसे मंहगाई भत्ता, गृह किराया भत्ता और परिवहन भत्ता स्वीकार्य दरों पर प्रदान किए जाएंगे। इनकी गणना, वेतन स्तर-1 के न्यूनतम स्तर पर की जाएगी। भविष्य में, भर्ती किए जाने वाले इन व्यक्तियों द्वारा वेतन स्तर-1 में व्यतीत की गई अवधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा क्योंकि उनकी नियमित सेवा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात समूह 'ग' पद पर उनकी नियुक्ति के बाद ही प्रारंभ होगी। छठवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन नियमों के तहत 1 एस स्केल द्वारा अभिशासित होने वाले कर्मचारियों के वेतन को लेवल-1 में रखने के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर (निर्धारण कारक) का प्रयोग करते हुए सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2016 के नियम 7 के अनुरूप संशोधित किया जाए। पूर्व संशोधित 1 एस वेतनमान में 7000/- रुपए के संशोधन पूर्व वेतन से कम सभी पूर्व संशोधित वेतन स्तरों पर बंचिंग (एक साथ करने) के लाभ का निर्धारण करने के लिए ठीक उसी तरह विचार नहीं किया जाएगा जैसा कि बंचिंग (एक साथ करने) के कारण हुए लाभ के लागू होने पर इस विभाग के दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय जापन द्वारा स्पष्ट किया गया है। यह दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होगा। [दिनांक 11 दिसम्बर 2009 के का.जा.सं. 14014/2/2009-स्था. (घ) का पैरा 1 और (दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 के का.जा. सं. 14014/2/2009-स्था.(घ)) का पैरा 2]

टिप्पणी किसी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय के मामले में, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव, इस प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

- (ग) अनुकंपा आधार पर अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त व्यक्तियों को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता से छूट के मामले का अभिशासन इस संबंध में जारी किए गए सामान्य आदेशों द्वारा किया जाएगा:-
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सीएस प्रभाग द्वारा यदि वह पद केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में शामिल हो, अथवा
 - कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्थापना प्रभाग द्वारा यदि वह पद केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में शामिल न हो।
- (घ) ऐसी किसी विधवा स्त्री की नियुक्ति के मामले में, जो कि बहु-कार्य कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ) पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता को पूरा नहीं करती हो, तो उन्हें शैक्षिक योग्यता के मानकों को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिए बिना सीधे वेतन स्तर-1 (18,000-56,900 रुपए) में रखा जाएगा, बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि जिस पद के लिए उन्हें नियुक्त किया जा रहा है, उस पद के कार्यों को कार्योन्मुख प्रशिक्षण की सहायता से संपन्न किया जा सकता है। इस व्यवस्था की अनुमति केवल बहु-कार्य कर्मचारी के पद पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए ही है। (दिनांक 03.04.2012 के का.जा.सं. 14014/2/2009-स्था. (घ) का पैरा 2)

7. रिक्तियों का निर्धारण/उपलब्धता

- (क) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति केवल नियमित आधार पर ही की जानी चाहिए और साथ ही ये नियुक्तियां तभी की जाएं जब इस उद्देश्य से नियमित रिक्तियां उपलब्ध हों।
- (ख) अनुकंपा आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां किसी भी समूह 'ग' पद में सीधी भर्ती कोटा के अधीन आने वाली रिक्तियों के अधिकतम 5 प्रतिशत तक की जा सकती हैं। नियुक्ति प्राधिकारी, उपर्युक्त श्रेणियों में सीधी भर्ती द्वारा कर्मचारी चयन आयोग या अन्यथा माध्यम से भरी जाने वाली 5 प्रतिशत तक रिक्तियां बचा कर रख सकता है, ताकि इन रिक्तियों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति द्वारा भरा जा सके। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु चयनित व्यक्ति को, जिस भी श्रेणी से वह संबंधित है, के आधार पर उपयुक्त श्रेणी नामतः अ.जा./अजजा/अ.पि.वि/सामान्य के समक्ष भर्ती रोस्टर में समायोजित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि वह अ.जा. श्रेणी से संबंधित हो तो उसे अ.जा. आरक्षण बिंदु के समक्ष समायोजित किया जाएगा, यदि वह अ.जा./अपिव से संबंधित है तो उसे अ.जा./अ.पि.वि बिंदु के समक्ष समायोजित किया जाएगा और यदि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है तो उसे सामान्य श्रेणी के रिक्ति बिंदु के समक्ष समायोजित किया जाएगा।
- (ग) जबकि, नियमित रिक्तियों के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करने की 5 प्रतिशत की सीमा को सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य की नियुक्ति नियमित रिक्तियों के लिए आकस्मिक/दैनिक पारिश्रमिक/तदर्थ/संविदा आधार पर करते हुए दरकिनार नहीं करना चाहिए, यदि वह ऐसी नियुक्तियों का अभिशासन करने वाले सामान्य नियमों/आदेशों के अनुसार पात्र है तो उस पर ऐसी नियुक्ति हेतु विचार करने पर प्रतिबंध नहीं है।
- (घ) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करने के लिए सीधी भर्ती की रिक्तियों की 5 प्रतिशत की सीमा को किन्हीं अन्य रिक्तियों उदाहरणतः खेल कोटा की रिक्ति का उपयोग करते हुए बढ़ाया नहीं जाना चाहिए।
- (ङ) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करने के लिए गठित समिति को वास्तव में केवल पात्र मामले में ही अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु अपनी सिफारिश करनी चाहिए और तभी ही करनी चाहिए जब अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु रिक्ति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में एक वर्ष के भीतर उपलब्ध हो और वह रिक्ति समूह 'ग' पदों में सीधी भर्ती कोटा के अधीन आने वाली रिक्तियों के 5 प्रतिशत की सीमा के भीतर हो। (दिनांक 22.06.2001 का का.जा. सं. 14014/18/2000-स्था.घ)
- (च) छोटे कार्यालयों/संवर्गों के पदों को समूहबद्ध कर के रिक्तियों की गणना-

अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए रिक्तियों की गणना करने के उद्देश्य से छोटे कार्यालयों/संवर्गों में पदों को समूहबद्ध करने की अनुमति है। परिणामस्वरूप, ऐसे समूह 'ग' पद जिनमें एक भर्ती वर्ष में 20 से कम सीधी भर्ती रिक्तियां होती हैं, को एक साथ समूहबद्ध किया जा सकता है तथा रिक्तियों की कुल संख्या में से 5% रिक्तियां इस शर्त के अधीन अनुकंपा आधार पर भरी जा सकती हैं कि ऐसे किसी पद पर अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुकंपा आधार पर रिक्तियों की गणना

करने के उद्देश्य से किसी रिक्ति का अपूर्णक (फ्रैक्शन) चाहे आधा अथवा आधे से अधिक किंतु एक से कम हो उसे रिक्ति के रूप में लिया जा सकता है। (दिनांक 28.12.1999 के का.जा.सं. 14014/24/1999-स्था. (घ) का पैरा 2 और 3)

(छ) छोटे मंत्रालयों/विभागों के लिए रिक्तियों की गणना की उदार पद्धति-

छोटे मंत्रालय/विभाग, अनुकंपा नियुक्ति के लिए 5% कोटा के अधीन रिक्तियों की गणना की और उदार पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। इन अनुदेशों के उद्देश्य से छोटे मंत्रालयों/विभागों को ऐसे संगठनों के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां अनुकंपा नियुक्ति के लिए किसी भी रिक्ति को पिछले 3 वर्षों के लिए 5% कोटा के अधीन नहीं रखा जा सका है। ऐसे छोटे मंत्रालय/विभाग पिछले 3 या उससे अधिक वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष में उत्पन्न होने वाली समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' पदों (तकनीकी पदों को छोड़कर) में सीधी भर्ती से की जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या को जोड़ सकते हैं तथा अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक रिक्ति का पता लगाने के लिए, ऐसे वर्षों की रिक्तियों के सकल योग के संदर्भ में 5% रिक्तियों की गणना कर सकते हैं। यह इस शर्त के अधीन होगा कि इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा 5% कोटा के अधीन एक रिक्ति का पता लगाने के लिए 3 वर्षों अथवा 3 वर्षों से अधिक लिए गए वर्षों के दौरान कोई अनुकंपा नियुक्ति नहीं की गई थी/की गई है। (दिनांक 09.10.2006 के का.जा.सं. 14014/3/2005-स्था.(घ) का पैरा 4)

- (ज) अनुकंपा नियुक्ति, समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' स्तर पर 'तकनीकी पदों' के लिए भी की जा सकती है। रिक्तियों के 5% कोटा की गणना तकनीकी पदों में एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली सीधी भर्ती से की जाने वाली कुल रिक्तियों के आधार पर की जाएगी। (दिनांक 19.01.2007 के का.जा.सं. 14014/3/2005-स्था. (घ) का पैरा 2)

8. अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों पर विचार करने की समय-सीमा

अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों पर विचार करने की समय-सीमा निर्धारित करने के संबंध में इस विभाग के दिनांक 26.07.2012 के का.जा.सं. 14014/3/2011-स्था (घ) के तहत समीक्षा की गई है। किसी रिक्ति की उपलब्धता तथा विषय पर इस विभाग द्वारा जारी किए और समय-समय पर संशोधित किए गए अनुदेशों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति के किसी भी आवेदन पर बिना किसी समय-सीमा के विचार किया जाता है तथा प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार निर्णय लिया जाता है।

9. अनुकंपा नियुक्ति के लिए बाद में किए गए विलंबित अनुरोध

- (क) मंत्रालय/विभाग काफी समय पहले लगभग पांच अथवा उससे पहले किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु अथवा चिकित्सा आधार पर उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोधों पर विचार कर सकता है। यद्यपि, ऐसे विलंबित अनुरोधों पर विचार करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुकंपा नियुक्ति की संकल्पना पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी के परिवार को तात्कालिक सहायता की आवश्यकता से संबंधित है ताकि उसे आर्थिक कठिनाई से बचाया जा सके। इस तथ्य को, कि इन सभी वर्षों में वह परिवार किसी तरह अपना जीवनयापन करने में सक्षम रहा है, को सामान्यतया इस बात के एक समुचित प्रमाण के रूप में लिया जाना चाहिए कि उस परिवार के पास जीवन निर्वाह के कुछ

भरोसेमंद साधन थे। अतः ऐसे मामलों की जांच करने में बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे मामलों में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करने का निर्णय केवल संबंधित विभाग/मंत्रालय के सचिव स्तर पर ही लिया जाए।

- (ख) अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई अनुरोध विलंबित है अथवा नहीं, इसका निर्णय सरकारी कर्मचारी की मृत्यु अथवा चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति की तारीख के संदर्भ में किया जाए न कि विचारण के समय आवेदक की आयु के संदर्भ में।
- (ग) आश्रित परिवार की दरिद्रता की स्थिति की जांच करने का दायित्व अनुकंपा नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का होगा।

(दिनांक 26.07.2012 के का.जा.सं. 14014/32011-स्था. (घ) का पैरा 4)

10. अनुकंपा आधार पर नियुक्त विधवा द्वारा पुनर्विवाह किया जाना

अनुकंपा आधार पर नियुक्त विधवा को पुनर्विवाह के पश्चात् भी सेवा में बने रहने की अनुमति होगी।

11. कमाने वाला सदस्य होने की स्थिति

- (क) उपयुक्त मामलों में, यहां तक कि जहां परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य पहले से हो, संबंधित विभाग/मंत्रालय के सचिव के पूर्व अनुमोदन से आश्रित परिवार के एक सदस्य के लिए अनुकंपा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है, जो ऐसी नियुक्ति का अनुमोदन करने से पूर्व स्वयं को संतुष्ट करेगा कि अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करना, आश्रित सदस्यों की संख्या, सरकारी कर्मचारी द्वारा छोड़ी गई परिसंपत्ति और देयताओं, कमाने वाले सदस्य की आय और साथ ही उसकी देयताएं तथा यह तथ्य कि कमाने वाला सदस्य सरकारी कर्मचारी के परिवार के साथ रह रहा है और क्या उसे परिवार के अन्य सदस्यों को सहायता का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए; को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित है।
- (ख) ऐसे मामलों में जहां दिवंगत अथवा चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य पहले से ही नौकरी कर रहा है तथा उस सरकारी कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता नहीं कर रहा है, वहां सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के आर्थिक संकट का पता लगाने के लिए बहुत अधिक सावधानी बरती जानी होती है ताकि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की सुविधा का यह आधार बताते हुए कि परिवार का सदस्य पहले से नौकरी में है तथा परिवार की सहायता नहीं कर रहा है, दुरुपयोग नहीं किया जाए।

12. लापता सरकारी कर्मचारी

लापता सरकारी कर्मचारियों के मामलों को भी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति की स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया है:-

- (क) अनुकंपा नियुक्ति का लाभ प्रदान करने के अनुरोध पर केवल किसी सरकारी कर्मचारी के लापता होने की तारीख से कम से कम 2 वर्ष पश्चात् ही विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि:

(i) इस संबंध में पुलिस के पास एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई हो,

- (ii) लापता व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता हो, और
- (iii) सक्षम प्राधिकारी का यह मानना हो कि मामला प्रमाणिक है:
- (ख) यह लाभ ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होगा:
 - (i) जिसके लापता होने की तारीख से सेवानिवृत्त होने में दो वर्ष से कम समय शेष हो; अथवा
 - (ii) जिस पर कोई धोखाधड़ी करने या किसी आतंकवादी संगठन में शामिल होने या विदेश चले जाने का शक हो।
- (ग) लापता सरकारी कर्मचारी के मामले में अनुकंपा नियुक्ति भी कोई अधिकार का मामला नहीं हो सकता जैसे कि अन्य मामलों में, तथा यह रिक्ति की उपलब्धता सहित इस स्कीम के अंतर्गत ऐसी नियुक्ति हेतु निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगी;
- (घ) ऐसे अनुरोध पर विचार करते समय, पुलिस की जांच के निष्कर्षों पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए; एवं
- (ङ) अनुकंपा नियुक्ति हेतु ऐसे किसी अनुरोध पर निर्णय केवल संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर ही लिया जाना चाहिए।

13. प्रक्रिया

- i). प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में एक कल्याण अधिकारी अथवा एक वरिष्ठ अधिकारी को दिवंगत सरकारी सेवक के परिवार से मिलने के लिए और परिवार को उपलब्ध सेवांत हितलाभों के बारे में अवगत कराने के लिए तैनात किया जा सकता है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने, संभवतः मृत्यु के 30 दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
- ii). यदि किसी मामले में कल्याण अधिकारी/वरिष्ठ अधिकारी द्वारा यह महसूस किया जाता है कि दिवंगत सरकारी सेवक के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है तो परिवार को अनुकंपा नियुक्ति की स्कीम से अवगत कराया जा सकता है।
- iii). ऐसे मामलों में, कल्याण अधिकारी अथवा कोई अन्य अधिकारी दिवंगत सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने में मदद करेगा। आवेदन निर्धारित फॉर्मेट में किया जाना चाहिए जैसा कि संलग्नक में दिया गया है। परिवार के ऐसे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रपत्र भरने के लिए सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। आवेदक को व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा पूरी की जाने वाली सभी आवश्यकताओं और औपचारिकताओं के बारे में सलाह दी जानी चाहिए। आवेदक को उन पदों के बारे में विस्तृत सूचना प्रदान की जानी चाहिए जिनके लिए वह आवेदन कर सकता है।
- iv). प्रशासन अपने आप को आवेदन प्रपत्र में शामिल किए गए विवरणों की सत्यता और पारिवारिक आय और आवेदन को संसाधित करने हेतु परिकल्पित किए गए अन्य विवरणों के संबंध में संतुष्ट करेगा। छानबीन के दौरान, यदि उस मामले पर कोई अन्य अतिरिक्त विवरण या सूचना प्राप्त होती है, तो उसे आवेदन के अनुपूरक नोट में शामिल किया जाना चाहिए।

- v). प्रत्येक आवेदन को, जो कि नियमानुसार पाया जाता है, एक यूनिक पंजीकरण संख्या दी जानी चाहिए। सभी लंबित आवेदनों को भी यूनिक पंजीकरण संख्या दी जानी चाहिए। इसे 2 से 3 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। एक बार जब आवेदन को यूनिक पंजीकरण संख्या दे दी जाती है आवेदक को, जिसमें वे आवेदक शामिल हैं, जिनके आवेदन लंबित है, ई-मेल अथवा संचार के अन्य माध्यमों (संचार के डिजिटल मोडों सहित) के माध्यम से उनकी यूनिक आवेदन पंजीकरण संख्या के बारे में सूचित किया जा सकता है।
- vi). कुछ विभागों जैसे कि सीबीआईसी, डाक विभाग, रक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावों का संसाधन करने के लिए अपनी स्वयं की पॉइंट आधारित मेरिट प्रणाली है। ऐसे दावों का निपटान करने के लिए पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता लाने के लिए, सभी मंत्रालय/विभाग, जिन्होंने ऐसी कोई प्रणाली अभी तक विकसित नहीं की है, अनुकंपा नियुक्ति के दावों के गुण-दोष का आंकलन करने के लिए अपनी स्वयं की बिंदु आधारित मेरिट प्रणाली विकसित कर के ऐसा कर सकते हैं।
- vii). आवेदकों को उनके आवेदन की पंजीकरण संख्या के बारे में सूचित करते समय, उन्हें अनुकंपा आधार पर भरे जाने के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संभावित संख्या के बारे में सूचित करने के साथ-साथ बिंदु आधारित मेरिट प्रणाली की प्रति भी उपलब्ध करवाई जाए।
- viii). विभिन्न आवेदनों पर विचार करने और अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत आवेदक की सिफारिश करने के लिए तीन सदस्यों (एक अध्यक्ष और दो सदस्य) वाली एक समिति का गठन किया जा सकता है। समिति की अध्यक्षता एक अधिकारी द्वारा की जाएगी जो कि मंत्रालय/विभाग में निदेशक/उप सचिव की रैंक से नीचे का नहीं होगा और संबंधित और अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में समकक्ष रैंक का अधिकारी होगा।
- ix). समिति, लंबित आवेदनों के अतिरिक्त, पिछले कैलेंडर वर्ष में प्राप्त हुए सभी नए अनुरोधों पर विचार करने के लिए वर्ष में एक बार बैठक कर सकती है। अगर कैलेंडर वर्ष के दौरान भिन्न-भिन्न समय पर बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो समिति आवेदनों पर विचार करने के लिए दो या उससे ज्यादा बैठक कर सकती है।
- x). समिति की प्रत्येक बैठक से पूर्व, आवेदकों को जिनके आवेदनों पर विचार किया जा रहा है, ई-मेल अथवा संचार के अन्य माध्यमों (संचार की डिजिटल मोड सहित) के माध्यम से प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों की संख्या जिसके लिए उन पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन पर विचार करने हेतु समिति की बैठक की तिथि के बारे में सूचित किया जाएगा। तथापि, आवेदक (आवेदकों) को प्रशासन अथवा समिति के साथ कोई व्यक्तिगत संपर्क समिति की बैठक के दौरान उपस्थित होने को संभवतः नहीं कहा जाएगा।
- xi). प्रत्येक वैध आवेदन का संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा बनाई गई बिंदु आधारित मेरिट प्रणाली के आधार पर सख्ती से आंकलन किया जाएगा।
- xii). समिति लागू बिंदु आधारित मेरिट प्रणाली के तहत प्रत्येक आवेदक द्वारा प्राप्त किए गए कुल बिंदुओं के अनुसार अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु अपनी सिफारिश करनी चाहिए।
- xiii). चयन के प्रत्येक राउंड के परिणाम के बारे में आवेदकों को सूचित किया जाएगा। आवेदकों को ईमेल अथवा संचार के अन्य माध्यमों के जरिए प्रत्येक पैरामीटर के लिए दिए गए प्वाइंट्स के साथ-साथ अर्जित किए कुल मेरिट प्वाइंट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे।

- xiv). समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त, जिसमें प्रत्येक आवेदक द्वारा अर्जित मेरिट प्वाइंट्स शामिल किए जाने चाहिए, को समिति की बैठक की तिथि से तीन हफ्तों की अवधि के भीतर पब्लिक डोमेन में सभी संबंधितों के सूचनार्थ मंत्रालयों/विभाग/संगठन की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए।
- xv). समिति की सिफारिश को निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। अगर सक्षम प्राधिकारी समिति की सिफारिशों से असहमत होता है तो मामले को निर्णय हेतु अगले उच्चतर प्राधिकारी को संदर्भित किया जा सकता है (दिनांक 23.05.2021 का का.जा. सं. 43019/9/2019-स्था.(घ))

14. मृत कर्मचारी के परिवार की देखभाल करने का वचनबंध

इस स्कीम के अंतर्गत अनुकंपा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को लिखित रूप में एक शपथ-पत्र (अनुलग्नक के अनुसार) देना चाहिए कि वह प्रश्नगत सरकारी कर्मचारी/सशस्त्र बलों के सदस्य के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों की समुचित रूप से देखभाल करेगा तथा बाद में (किसी भी समय) यदि यह प्रमाणित होता है कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है अथवा उनका समुचित रूप से ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसकी कानूनी प्रवर्तनीयता के प्रश्न पर विधि मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) के परामर्श से जांच की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि केवल अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के मामले में इसे नियुक्ति-पत्र में अतिरिक्त शर्तों में से एक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

(दिनांक 20.12.1999 का का.जा.सं. 14014/16/1999-स्था. (घ))

15. पद/व्यक्ति के परिवर्तन के लिए अनुरोध

जब किसी व्यक्ति को अनुकंपा आधार पर किसी विशेष पद पर नियुक्त गया हो तो ऐसी परिस्थितियों, जिनके आधार पर ऐसी नियुक्ति की गई थी, को समाप्त हुआ माना जाना चाहिए। इसलिए,---

- (क) उसे अपने कैरियर में भावी उन्नयन के लिए अपने सहकर्मियों की तरह प्रयास करना चाहिए तथा अनुकंपा आधार पर किसी उच्चतर पद पर नियुक्ति के किसी अनुरोध को निरपवाद रूप से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
- (ख) अनुकंपा आधार पर की गई नियुक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है तथा अनुकंपा के आधार पर इसके लिए किसी भी अनुरोध को निरपवाद रूप से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

16. वरिष्ठता

किसी वर्ष विशेष में अनुकंपा आधार पर नियुक्त हुए व्यक्ति को अनुकंपा आधार पर उसके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख पर ध्यान दिए बिना उस वर्ष में सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि के माध्यम से भर्ती/नियुक्त किए गए सभी उम्मीदवारों से नीचे स्थान पर रखा जाए। (दिनांक 11.11.2010 के का.जा.सं. 20011/1/2008-स्था. (घ) का पैरा 4.8))

17. सेवा समाप्ति

अनुकंपा नियुक्तियों को, अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस, जिसमें उससे यह स्पष्ट करने के बारे में कहा गया हो कि उसे उसके नियुक्ति पत्र की शर्त (शर्तों) का अनुपालन नहीं करने के लिए सेवा से क्यों न बर्खास्त कर दिया जाए, जारी करने के द्वारा अवसर प्रदान करने के पश्चात नियुक्ति के प्रस्ताव में उल्लिखित किसी शर्त का अनुपालन नहीं करने के आधार पर बर्खास्त किया जा सकता है तथा उसके प्रयोजन के लिए अनुशासनिक नियमों/अस्थाई सेवा नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना आवश्यक नहीं है।

इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, यह भी निर्णय लिया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति-पत्र की शर्त (शर्तों) का अनुपालन नहीं करने के लिए सेवाओं से बर्खास्तगी की यह शक्ति न केवल मंत्रालय/विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में बल्कि उस मंत्रालय/विभाग के अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भी केवल संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव में ही निहित होनी चाहिए। (दिनांक 24.11.2000 का का.जा.सं. 14014/19/2000-स्था. (घ))

18. सामान्य

- (क) अनुकंपा आधार पर की गई नियुक्तियां इस तरह की जानी चाहिए कि किसी पद पर नियुक्त हुए व्यक्ति में प्रशासन की कार्यकुशलता बनाए रखने की योग्यता के साथ-साथ उस पद के लिए अपेक्षित आवश्यक शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं एवं अनुभव भी हों।
- (ख) किसी दिवंगत अथवा चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त (पूर्ववर्ती) समूह 'घ' के सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य के नियोजन को केवल पूर्ववर्ती समूह 'घ' पद तक ही सीमित करने का उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार, ऐसे पूर्ववर्ती समूह 'घ' सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य को किसी ऐसे समूह 'ग' पद पर नियुक्त किया जा सकता है जिसके लिए वह शैक्षिक रूप से योग्य है, बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए समूह 'ग' पद में रिक्ति हो।
- (ग) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति स्कीम की परिकल्पना बहुत समय पहले वर्ष 1958 में की गई थी। उस समय से अब तक सरकार द्वारा बहुत से कल्याणकारी उपायों की शुरुआत की गई है जिनसे सेवा के दौरान दिवंगत होने वाले/चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों के परिवारों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है। तथापि, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं करना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी के परिवार ने विभिन्न कल्याण स्कीमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करते समय, परिवार की परिसंपत्तियों और देयताओं (उपर्युक्त विभिन्न कल्याण स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त लाभों सहित) तथा परिवार के कमाने वाले सदस्य की उपस्थिति, परिवार का आकार, बच्चों की आयु, परिवार की आवश्यक जरूरतों पर विचार करते हुए परिवार की वित्तीय स्थिति का संतुलित और निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

- (घ) अनुकंपा नियुक्ति को केवल इस आधार पर अस्वीकार अथवा विलंबित नहीं किया जाना चाहिए कि मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में पुनर्गठन हुआ है। यदि अनुकंपा नियुक्ति की रिक्ति मौजूद है तथा संबंधित व्यक्ति को इस स्कीम के अंतर्गत इसके लिए योग्य और उपयुक्त माना जाता है तो उसे यह नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए।
- (ङ) किसी पूर्ववर्ती समूह 'घ' कर्मचारी की मृत्यु अथवा चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोध पर इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर छूट प्रदान किए गए मानक अपनाते हुए और अपेक्षाकृत अधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।
- (च) अनुकंपा नियुक्ति को अधिशेष कर्मचारियों के आमेलन तथा अस्थाई आधार वाले/अस्थाई आधार नहीं रखने वाले दैनिक अपेक्षाकृत अनियत कामगारों के नियमितीकरण पर प्राथमिकता दी जाएगी।
- (छ) समूह 'क'/'ख'/'ग' सरकारी कर्मचारियों के संबंध में उपर्युक्त पैरा 2 (क) (ख) और (ग) में निर्धारित चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति हेतु 55 वर्ष की ऊपरी आयु-सीमा को बढ़ाने तथा इसे समूह 'क'/'ख'/'ग' सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को हाल ही में (मई, 1998) 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के आधार पर (जो कि पूर्ववर्ती समूह 'घ' सरकारी कर्मचारी के लिए लागू 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु के समतुल्य है) अथवा किसी अन्य आधार पर पूर्ववर्ती समूह 'घ' सरकारी कर्मचारी के लिए निर्धारित 57 वर्ष की ऊपरी आयु-सीमा के समान बनाने के किसी भी अनुरोध को निरपवाद रूप से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी सरकारी कर्मचारी के कैरियर के अंतिम भाग में चिकित्सा आधारों पर सेवानिवृत्ति मांगते हुए इस स्कीम के अधीन उपलब्ध अनुकंपा नियुक्ति के लाभों का दुरुपयोग नहीं किया जाए और साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि पूर्ववर्ती समूह 'घ' सरकारी कर्मचारियों के लिए उच्चतर ऊपरी आयु-सीमा को 57 वर्ष इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि वे कम भुगतान पाने वाले सरकारी कर्मचारी होते हैं जिन्हें अन्य कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम इनवैलिड पेंशन प्राप्त होती है।

19. न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय

अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर विचार करते समय निम्नलिखित निर्णयों में समाविष्ट आदेशों को भी ध्यान में रखा जाए:-

- (क) उच्चतम न्यायालय ने भारत के महालेखापरीक्षक और अन्य बनाम जी. अनंत राजेश्वरा राव [(1994) 1 एससीसी 192] के मामले में दिनांक 8 अप्रैल, 1993 के अपने निर्णय में यह कहा कि वंश (पीढ़ी) के आधार पर नियुक्ति स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन करती है; लेकिन यदि यह नियुक्ति किसी सेवारत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके पुत्र अथवा पुत्री अथवा विधवा पत्नी को प्रदान की जाती है तथा जिसे परिवार में किसी भी कमाने वाले सदस्य के न होने पर आजीविका कमाने वाले से होने वाली आय की कमी को पूरा करने के लिए सहायता की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर तत्काल नियुक्ति की आवश्यकता हो ताकि वह उस परिवार के सदस्यों के आर्थिक संकट का निवारण कर सके; यह वर्जनीय नहीं है।

- (ख) उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य [जेटी 1994 (3) एस.सी. 525] के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 मई, 1994 के निर्णय में इस संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियम निर्धारित किए गए हैं:
- (i). सेवा में रहते हुए दिवंगत होने वाले अपने परिवार को किसी आजीविका के बिना साधन के दरिद्रता में छोड़ देने वाले कर्मचारी, के आश्रितों को ही अनुकंपा आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है।
 - (ii). समूह 'ग' और 'घ' के पद (पूर्व में श्रेणी III और IV) गैर-मैनुअल और मैनुअल श्रेणियों में सबसे निचले पद हैं और इसीलिए केवल ऐसी ही पदों पर अनुकंपा आधारों पर नियुक्ति दी जा सकती है। इसके अलावा किसी अन्य पद अर्थात् समूह 'क' और 'ख' श्रेणी के लिए इस उद्देश्य हेतु नियुक्ति नहीं दी जा सकती अथवा अपेक्षित नहीं है क्योंकि कानूनन इसकी अनुमति नहीं है।
 - (iii). अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का संपूर्ण उद्देश्य अचानक आए संकट से निपटने के लिए परिवार को समर्थ बनाना और दिवंगत व्यक्ति के परिवार को वित्तीय निस्सहायता से निकालना और इस अपातकालीन स्थिति से उबारना है।
 - (iv). मृत अथवा चिकित्सकीय रूप से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के परिवार की आर्थिक स्थिति पर विचार किए बिना एक नियम के रूप में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करना कानूनी रूप से अनुचित है।
 - (v). न तो आवेदक की अर्हताएं (आश्रित परिवार सदस्य) और न ही मृत अथवा चिकित्सकीय रूप से सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद संगत है। अगर आवेदक को उसको दिए गए पद का प्रस्ताव अपनी मर्यादा से कम लगता है तो वह ऐसा नहीं करने के लिए स्वतंत्र है। यह पद उसकी स्थिति को ध्यान में रख कर नहीं बल्कि परिवार को आर्थिक आपदा से निकालने के लिए दिया गया है।
 - (vi). अनुकंपा आधार पर नियुक्ति यथोचित समयावधि गुजरने के बाद नहीं दी जा सकती है और यह निहित अधिकार नहीं है जिसका भविष्य में किसी समय उपयोग किया जा सके।
 - (vii). किसी भी व्यक्तिगत अधिकारी द्वारा तदर्थ आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता।
- (ग) उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम श्रीमती आशा रामचंद्र अंबेकर और अन्य (जेटी 1994(2) एस.सी. 183) के मामले में दिनांक 28 फरवरी, 1995 के अपने निर्णय में यह कहा था कि उच्च न्यायालय और प्रशासनिक अधिकरण किसी व्यक्ति की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु निर्देश नहीं दे सकते पर वह ऐसी किसी नियुक्ति के लिए दावे पर सीधे विचार करने को कह सकते हैं।
- (घ) उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल सड़क परिवहन निगम बनाम दिनेश कुमार (जेटी 1996(5) एस.सी. 319) मामले में दिनांक 7 मई, 1996 और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाम श्रीमती ए. राधिका तिरुमल्लाई (जेटी 1996(9) एस.सी. 197) मामलों में दिनांक 9 अक्टूबर, 1996 को दिए गए निर्णयों में कहा कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है जब उस प्रयोजन हेतु रिक्ति उपलब्ध हो।
- (ङ) उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा राज्य और अन्य बनाम रानी देवी और अन्य (जेटी 1996(6) एस.सी. 646) के मामले में दिनांक 15 जुलाई, 1996 के अपने निर्णय में यह

कहा कि अगर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति संबंधी स्कीम का विस्तार सभी प्रकार के अनियत तदर्थ कर्मचारी, जिसमें प्रशिक्षुओं तक को भी शामिल किया जाता है, तो ऐसी स्कीम को संवैधानिक आधार पर तर्कसंगत ठहराया नहीं जा सकता।

- (च) माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्थानीय प्रशासन विभाग बनाम एम. सेलवानायागम @ कुमारवेलु द्वारा दायर 2006 की सिविल अपील सं. 2206 में दिनांक 05.04.2011 के अपने निर्णय में यह टिप्पणी की कि "कर्मचारी की मृत्यु के कई वर्ष बाद अथवा उसकी मृत्यु के कारण उसके आश्रितों को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और आश्रितों की कठिन आर्थिक स्थिति पर समुचित विचार किए बिना की गई नियुक्ति, क्योंकि दावाकर्ता दिव्यांगत कर्मचारी के आश्रितों में से एक था, सीधे ही संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रतिकूल होगी और यह गलत और गैर-कानूनी होगी। अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर कार्य करते हुए इस मुख्य बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है।" (दिनांक 26.07.2012 का का.जा. सं. 14014/3/2011-स्था.(घ))

सेवा में रहने के दौरान मरने वाले/अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के आश्रितों के नियोजन के संबंध में प्रपत्र

भाग - क

- (क) सरकारी सेवक का नाम (मृत/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त)
- (ख) सरकारी सेवक का पदनाम
- (ग) क्या वह एमटीएस है (पूर्वतन समूह 'घ-') या नहीं?
- (घ) सरकारी सेवक की जन्म की तारीख
- (ङ) मृत्यु/चिकित्सा आधारों पर सेवानिवृत्ति की तारीख
- (च) की गई सेवा की कुल अवधि
- (छ) क्या स्थायी है अथवा अस्थायी
- (ज) क्या अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित हो
- II. (क) नियुक्ति हेतु उम्मीदवार का नाम
- (ख) सरकारी सेवक के साथ उसका संबंध
- (ग) जन्म की तारीख
- (घ) शैक्षणिक योग्यताएं
- (ङ) क्या आश्रित परिवार का कोई अन्य सदस्य अनुकंपा आधार पर नियुक्त हुआ है
- III. निम्नलिखित की राशि सहित छोड़ी गई कुल परिसंपत्ति का ब्यौरा
- (क) परिवार पेंशन
- (ख) डी.सी.आर. ग्रेज्युटी
- (ग) जी.पी.एफ. शेष
- (घ) जीवन बीमा पॉलिसियां (डाक जीवन बीमा सहित)
- (ङ) चल और अचल संपत्तियां तथा उनसे परिवार द्वारा अर्जित वार्षिक आय
- (च) सीजीई बीमा राशि
- (छ) फुट्टी नकदीकरण
- (ज) अन्य कोई परिसंपत्तियां
- कुल
- IV. देयताओं, यदि कोई हों, का संक्षिप्त ब्यौरा
- V. सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के सभी सदस्यों का ब्यौरा (यदि कुछ नियोजित हैं तो उनकी आय क्या वे साथ रह रहे हैं या अलग रह रहे हैं)

क्र.सं.	नाम	सरकारी सेवक के साथ संबंध	आयु	पता	नियोजित हैं या नहीं यदि नियोजित है तो नियोजन और परिलब्धियों का ब्यौरा
1.					
2.					
3.					

VI. घोषणा उपक्रम/

- मैं, एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए तथ्य मेरी पूरी जानकारी के आधार पर सही हैं। यदि यहां उल्लिखित कोई भी तथ्य भविष्य की किसी तारीख को गलत या झूठे पाए जाते हैं, तो मेरी सेवाएं बर्खास्त कर दी जाएं।
- मैं, एतद्वारा यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं इस प्रपत्र के भाग-क के 1(क) के सामने उल्लिखित सरकारी सेवक/सशस्त्र बलों के सदस्य पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों को समुचित रूप से देखभाल करूंगा और किसी भी समय पर यदि यह प्रमाणित होता है कि उक्त परिवार के सदस्य की मेरे द्वारा उपेक्षा की जा रही है या उचित रूप से देखभाल नहीं की जा रही है, तो मेरी नियुक्ति को बर्खास्त कर दिया जाए।

दिनांक

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम

पता

मोबाइल नं.

ईमेल आईडी

भाग (ख)

(कार्यालय द्वारा भरा जाए जिसमें रोजगार प्रस्तावित है)

I.

क) नियुक्ति हेतु उम्मीदवार का नाम

ख) सरकारी सेवक के साथ उसका/उसकी संबंध

ग) आयु (जन्म तिथि), शैक्षिक योग्यता और अनुभव, यदि कोई हो

घ) पद (समूह ग) जिसमें पद प्रस्तावित है

ड) क्या अनुकम्पा नियुक्ति की योजना के अंतर्गत निर्धारित 5% सीलिंग के अन्दर उस पद में कोई रिक्त पद है?

च) क्या भरे जाने वाला पद केन्द्रीय सचिवालय क्लेरिकल सेवा में शामिल है या नहीं?

छ) क्या प्रासंगिक भर्ती नियम सीधी भर्ती प्रदान करते हैं?

ज) क्या उम्मीदवार पद के लिए भर्ती नियमों की आवश्यकताएं पूरा करता है?

झ) रोजगार कार्यालय/कर्मचारी चयन आयोग की प्रक्रिया में छूट के अलावा अन्य कौन से छूट दिए जाते हैं?

II. भाग 'क' में उल्लिखित तथ्यों का कार्यालय द्वारा सत्यापन किया गया है, क्या यदि हां तो, रिकॉर्ड इंगित करें

III. यदि सरकारी सेवक चिकित्सा आधार पर 5 वर्ष से पहले सेवानिवृत्त हो गया/मर गया तो प्रारम्भ में ही यह मामला क्यों नहीं प्रायोजित की गई।

IV. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में विभागाध्यक्ष का व्यक्तिगत सिफारिश (उनके हस्ताक्षर तथा कार्यालय स्टाम्प/मुहर के साथ)

F.No. 14014/1/2022-Estt. (D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel & Training)

North Block, New Delhi
Dated the 02nd August, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Master Circular on Scheme of compassionate appointment –
regarding.

The undersigned is directed to say that consolidated instructions on Scheme for “Compassionate Appointment under Central Government” was issued vide this Department’s O.M. No.14014/02/2012-Estt.(D) dated 16.01.2013. Subsequently a few instructions on compassionate appointments under the Central Government have been issued. It has been decided to consolidate all instructions issued till date, in this Master Circular, under easily Comprehensible heading for benefit of ready reference. The number and date of the relevant Office Memorandum have been mentioned below each para. The relevant O.M. can be accessed from this Department’s website <https://dopt.gov.in> under heading Notifications- OM. & Orders- 13 Establishment- Compassionate Appointment.

2. All Ministries/Departments are requested to bring this to the notice of all concerned for information, guidance and necessary action.

3. Hindi version will follow.

Pradeep Kumar
02/08/2022
(Pradeep Kumar)

Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23040339

To,
All Ministries/Departments of Government of India

Copy to:

1. President’s Secretariat, New Delhi
2. Vice-President’s Secretariat, New Delhi
3. The Prime Minister’s Office, New Delhi
4. Cabinet Secretariat, New Delhi
5. Rajya Sabha Secretariat/Lok Sabha Secretariat, New Delhi
6. The Registrar General, the Supreme Court of India, New Delhi.
7. The Registrar, Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi.
8. The Comptroller and Auditor General of India, New Delhi
9. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi

C

- 2 -

10. The Secretary, Staff Selection Commission, New Delhi
11. All attached offices under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
12. National Commission for Scheduled Castes, New Delhi
13. National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi
14. National Commission for OBCs, New Delhi
15. Secretary, National Council (JCM), 13, Ferozeshah Road, New Delhi.
16. Establishment Officer & A.S.
17. All Officers and Sections in the Department of Personnel and Training.
18. Facilitation Centre, DOP&T (20 copies)
19. NIC (DOP&T) for placing this Office Memorandum on the Website of DOP&T.
20. Establishment Section (200 copies).

Pradeep Kumar
02/08/2022

(Pradeep Kumar)

Under Secretary to the Government of India

SCHEME FOR COMPASSIONATE APPOINTMENT

1. OBJECT

The object of the Scheme is to grant appointment on compassionate grounds to a dependent family member of a Government servant dying in harness or who is retired on medical grounds, thereby leaving his family in penury and without any means of livelihood, to relieve the family of the Government servant concerned from financial destitution and to help it get over the emergency.

2. TO WHOM APPLICABLE

To a dependent family member —

(A) of a Government servant who —

- (a) dies while in service (including death by suicide); or
- (b) is retired on medical grounds under Rule 2 of the CCS (Medical Examination) Rules 1957 or the corresponding provision in the Central Civil Service Regulations before attaining the age of 55 years (57 years for erstwhile Group 'D' Government servants); or
- (c) is retired on medical grounds under Rule 38 of the CCS(Pension) Rules, 1972 or the corresponding provision in the Central Civil Service Regulations before attaining the age of 55 years (57 years for erstwhile Group 'D' Government servants); or

(B) of a member of the Armed Forces who —

- (a) dies during service; or
- (b) is killed in action; or
- (c) is medically boarded out and is unfit for civil employment.

Note I "Dependent Family Member" means:

- (a) spouse; or
- (b) son(including adopted son); or
- (c) daughter (including adopted daughter); or
- (d) brother or sister in the case of unmarried Government servant or
- (e) member of the Armed Forces referred to in (A) or (B) of this para,

-- who was wholly dependent on the Government servant/ member of the Armed Forces at the time of his death in harness or retirement on medical grounds, as the case may be.

Note II "Government servant" for the purpose of these instructions means a Government servant appointed on regular basis and not one working on

daily wage or casual or apprentice or ad-hoc or contract or re-employment basis.

Note III "Confirmed work-charged staff" will also be covered by the term 'Government servant' mentioned in Note II above.

Note IV "Service" includes extension in service (but not re-employment) after attaining the normal age of retirement in a civil post.

Note V "Re-employment" does not include employment of ex-serviceman before the normal age of retirement in a civil post.

3. **AUTHORITY COMPETENT TO MAKE
COMPASSIONATE APPOINTMENT**

- (a) Joint Secretary in-charge of administration in the Ministry/Department concerned.
- (b) Head of the Department under the Supplementary Rule 2(10) in the case of attached and subordinate offices.
- (c) Secretary in the Ministry/Department concerned in special types of cases.

4. **POSTS TO WHICH SUCH APPOINTMENTS CAN BE MADE**

Group 'C' posts against the direct recruitment quota.

5. **ELIGIBILITY**

- (a) The family is indigent and deserves immediate assistance for relief from financial destitution; and
- (b) Applicant for compassionate appointment should be eligible and suitable for the post in all respects under the provisions of the relevant Recruitment Rules.

6. A. EXEMPTIONS

Compassionate appointments are exempted from observance of the following requirements:-

- (a) Recruitment procedure i.e. without the agency of the Staff Selection Commission or the Employment Exchange.
- (b) Clearance from the Surplus Cell of the Department of Personnel and Training/Directorate General of Employment and Training.
- (c) The ban orders on filling up of posts issued by the Ministry of Finance (Department of Expenditure).

B. RELAXATIONS

- (a) Upper age limit could be relaxed wherever found to be necessary. The lower age limit should, however, in no case be relaxed below 18 years of age.

Note I Age eligibility shall be determined with reference to the date of application and not the date of appointment;

Note II Authority competent to take a final decision for making compassionate appointment in a case shall be competent to grant relaxation of upper age limit also for making such appointment.

- (b) In exceptional circumstances Government may consider recruiting persons not immediately meeting the minimum educational standards. Government may engage them as trainees who will be given the regular pay bands and grade pay only on acquiring the minimum qualification prescribed under the recruitment rules. The emoluments of these trainees, during the period of their training and before they are absorbed in the Government as employees, will be equal to the lowest/first cell (minimum) of Pay Level-1 Rs. 18,000-56,900 (pre-revised -1S pay band). In addition, they will be granted all applicable Allowance, like Dearness Allowances, House Rent Allowance and Transport Allowance at the admissible rates. The same shall be calculated on the minimum of Pay Level-1. The period spent in Pay Level-1 by the future recruits will not be counted as service for any purpose as their regular service will start only after they are appointed in the Group 'C' post after acquiring minimum educational qualifications. The pay of those governed by the 1S scale under 6th CPC Pay Rules may be revised by using the Fitment Factor of 2.57 for placement in Level-1 in conformity with the Rule 7 of the CCS (RP) Rules, 2016. All pre-revised pay stages lower than pre-revised pay of Rs.7,000 in the pre-revised 1S scale shall not be considered for determining the benefit of bunching, on the same lines as has been clarified by this Department's O.M dated 03.08.2017 on application of the benefit on account of bunching. This will be effective from 01.01.2016. [Para 1 of O.M. No.14014/2/2009-Estt.(D) Dated the 11th December, 2009 and Para 2 of { O.M. No.14014/2/2009-Estt.(D) Dated 09th October, 2017}]

Note In the case of an attached/subordinate office, the Secretary in the concerned administrative Ministry/Department shall be the competent authority for this purpose.

- (c) In the matter of exemption from the requirement of passing the typing test those appointed on compassionate grounds to the post of Lower Division Clerk will be governed by the general orders issued in this regard:-
- (i) by the CS Division of the Department of Personnel and Training if the post is included in the Central Secretariat Clerical Service; or
 - (ii) by the Establishment Division of the Department of Personnel and Training if the post is not included in the Central Secretariat Clerical Service.
- (d) In case of appointment of a widow not fulfilling the requirement of educational qualification, against the post of MULTI TASKING STAFF, she will be placed in minimum of Pay Level-1(Rs. 18,000-56,900) directly without insisting on fulfillment of educational qualification norms, provided the appointing authority is satisfied that the duties of the post against which she is being appointed can be performed with help of some on job training. This dispensation is to be allowed for appointment on compassionate ground against the post of MULTI TASKING STAFF only. (Para 2 of O.M. No.14014/2/2009-Estt. (D) Dated 03.04.2012)

7. DETERMINATION/AVAILABILITY OF VACANCIES

- (a) Appointment on compassionate grounds should be made only on regular basis and that too only if regular vacancies meant for that purpose are available.
- (b) Compassionate appointments can be made upto a maximum of 5% of vacancies falling under direct recruitment quota in any Group 'C' post. The appointing authority may hold back upto 5% of vacancies in the aforesaid categories to be filled by direct recruitment through Staff Selection Commission or otherwise so as to fill such vacancies by appointment on compassionate grounds. A person selected for appointment on compassionate grounds should be adjusted in the recruitment roster against the appropriate category viz SC/ST/OBC/General depending upon the category to which he belongs. For example, if he belongs to SC category he will be adjusted against the SC reservation point, if he is ST/OBC he will be adjusted against ST/OBC point and if he belongs to General category he will be adjusted against the vacancy point meant for General category.
- (c) While the ceiling of 5% for making compassionate appointment against regular vacancies should not be circumvented by making appointment of dependent family member of Government servant on casual/daily wage/ad-hoc/contract basis against regular vacancies, there is no bar to considering him for such appointment if he is eligible as per the normal rules/orders governing such appointments

- (d) The ceiling of 5% of direct recruitment vacancies for making compassionate appointment should not be exceeded by utilising any other vacancy e.g. sports quota vacancy.
- (e) The Committee constituted for considering a request for appointment on compassionate grounds should limit its recommendation to appointment on compassionate grounds only in a really deserving case and only if vacancy meant for appointment on compassionate grounds will be available within a year in the concerned administrative Ministry/department/Office, that too within the ceiling of 5% of vacancies falling under DR quota in Group 'C' posts. (O.M.No.14014/18/2000-Estt.(D) dated 22.06.2001)
- (f) Calculation of vacancies by grouping of posts for small offices/cadres - Grouping of posts in small Offices/Cadres for the purpose of calculation of vacancies for appointment on compassionate grounds is allowed. Consequently, Group 'C' posts in which there are less than 20 direct recruitment vacancies in a recruitment year may be grouped together and out of the total number of vacancies 5% may be filled on compassionate grounds subject to the condition that appointment on compassionate grounds in any such post should not exceed one. For the purpose of calculation of vacancies for compassionate appointment, fraction of a vacancy either half or exceeding half but less than one may be taken as one vacancy. (Para 2 and 3 of O.M. No. 14014/24/1999-Estt.(D) dated 28.12.1999)
- (g) Liberalized method of calculation of vacancies for small Ministries/Departments - The small Ministries/Departments may apply a more liberalized method of calculation of vacancies under 5% quota for compassionate appointment. The small Ministries/Departments, for the purpose of these instructions, are defined as organizations where no vacancy for compassionate appointment could be located under 5% quota for the last 3 years. Such small Ministries/Departments may add up the total of DR vacancies in Group 'C' and erstwhile Group 'D' posts (excluding technical posts) arising in each year for 3 or more preceding years and calculate 5% of vacancies with reference to the grand total of vacancies of such years, for locating one vacancy for compassionate appointment. This is subject to the condition that no compassionate appointment was/has been made by the Ministries/Departments during 3 years or number of years taken over and above 3 years for locating one vacancy under 5% quota. (Para 4 of O.M. No. 14014/3/2005-Estt.(D) dated 09.10.2006)
- (h) The compassionate appointment can also be made against technical 'posts' at Group 'C' and erstwhile Group 'D' level. The 5% quota of vacancies will be calculated on the basis of total DR vacancies arising in a year in the technical posts. (Para 2 of O.M. No. 14014/3/2005-Estt.(D) dated 19.01.2007.)

8. **TIME LIMIT FOR CONSIDERING APPLICATIONS FOR COMPASSIONATE APPOINTMENT:**

Prescribing time limit for considering applications for compassionate appointment has been reviewed vide this Department O.M No.14014/3/2011-Estt.(D) dated 26.07.2012. Subject to availability of a vacancy and instructions on the subject issued by this Department and as amended from time to time, any application for compassionate appointment is to be considered without any time limit and decision taken on merit in each case

9. **BELATED REQUESTS FOR COMPASSIONATE APPOINTMENT**

- (a) Ministries/Departments can consider requests for compassionate appointment even where the death or retirement on medical grounds of a Government servant took place long back, say five years or so. While considering such belated requests it should, however, be kept in view that the concept of compassionate appointment is largely related to the need for immediate assistance to the family of the Government servant in order to relieve it from economic distress. The very fact that the family has been able to manage somehow all these years should normally be taken as adequate proof that the family had some dependable means of subsistence. Therefore, examination of such cases would call for a great deal of circumspection. The decision to make appointment on compassionate grounds in such cases may, therefore, be taken only at the level of the Secretary of the Department/Ministry concerned.
- (b) Whether a request for compassionate appointment is belated or not may be decided with reference to the date of death or retirement on medical ground of a Government servant and not the age of the applicant at the time of consideration.
- (c) The onus of examining the penurious condition of the dependent family will rest with the authority making compassionate appointment (Para 4 of O.M No.14014/3/2011-Estt.(D) dated 26.07.2012)

10. **WIDOW APPOINTED ON COMPASSIONATE GROUNDS GETTING REMARRIED**

A widow appointed on compassionate grounds will be allowed to continue in service even after re-marriage.

11. **WHERE THERE IS AN EARNING MEMBER**

- (a) In deserving cases even where there is already an earning member in the family, a dependent family member may be considered for compassionate appointment with prior approval of the Secretary of the Department/Ministry concerned who, before approving such appointment, will satisfy himself that grant of compassionate appointment is justified having regard to number of dependents, assets and liabilities left by the Government servant, income of the earning member as also his liabilities including the fact that the earning

member is residing with the family of the Government servant and whether he should not be a source of support to other members of the family.

- (b) In cases where any member of the family of the deceased or medically retired Government servant is already in employment and is not supporting the other members of the family of the Government servant, extreme caution has to be observed in ascertaining the economic distress of the members of the family of the Government servant so that the facility of appointment on compassionate ground is not circumvented and misused by putting forward the ground that the member of the family already employed is not supporting the family.

12. MISSING GOVERNMENT SERVANT

Cases of missing Government servants are also covered under the scheme for compassionate appointment subject to the following conditions:-

- (a) A request to grant the benefit of compassionate appointment can be considered only after a lapse of at least 2 years from the date from which the Government servant has been missing, provided that:

- (i) an FIR to this effect has been lodged with the Police,
- (ii) the missing person is not traceable, and
- (iii) the competent authority feels that the case is genuine;

- (b) This benefit will not be applicable to the case of a Government servant:-

- (i) who had less than two years to retire on the date from which he has been missing; or
 - (ii) who is suspected to have committed fraud, or suspected to have joined any terrorist organisation or suspected to have gone abroad.
- (c) Compassionate appointment in the case of a missing Government servant also would not be a matter of right as in the case of others and it will be subject to fulfillment of all the conditions, including the availability of vacancy, laid down for such appointment under the scheme;
- (d) While considering such a request, the results of the Police investigation should also be taken into account; and
- (e) A decision on any such request for compassionate appointment should be taken only at the level of the Secretary of the Ministry/Department concerned.

13. PROCEDURE

- i) The Welfare Officer in each Ministry/Department/Office or a senior officer may be deputed to meet the family members of the deceased Government Servant and apprise them of the terminal benefits available to the family. This may be done at the earliest possible, preferably, within 30 days of death.
- ii) In case it is observed by the Welfare Officer/Senior Officer that the condition of the family of the deceased Government Servant is indigent, the family should also be apprised of the scheme for compassionate appointment.
- iii) In such cases, the Welfare Officer or any other Officer would assist the family member of the deceased Government servant in applying for appointment on compassionate grounds. The application should be made in the format prescribed as in Annexure. All assistance should be extended to enable such family member to fill the Application Form for compassionate appointment. The Applicant should be advised in person about the requirements and formalities to be completed by him. The Applicant should also be given detailed information of the posts to which they can apply.
- iv) The Administration shall satisfy itself regarding the correctness of the details entered in the Application form and family income and other details computed for processing the Application. During scrutiny, if any additional details or information having a bearing on the case, emerge, the same should be added as supplementary Note to the Application.
- v) Every application found to be in order, should be acknowledged by assigning a unique Registration number. All pending Applications should also be assigned unique registration number. This may be done within 2 to 3 weeks of time. Once a unique registration number has been assigned to an application, the Applicant, including those whose applications are pending, may be informed through email or other forms of communication (including digital modes of communication) of their Unique Application Registration Number.
- vi) Some Departments such as CBIC, D/o Posts, D/o Defence have devised their own point based merit system, for processing claims for compassionate appointment. In order to bring in transparency and objectivity in dealing with such claims, all Ministries/Departments, who have not yet developed such a system, may do so by devising their own point based merit system for assessing the merit of the claims of compassionate appointments.
- vii) While informing the Applicants of the registration number of their Application, they may also be informed of the likely number of vacancies likely to be available to be filled on compassionate grounds as well as be provided with a copy of the point based merit system.
- viii) To consider the various applications and to recommend individual applicant for grant of compassionate appointment, a Committee, comprising three members (one Chairman and two Members), may be constituted. The Committee may be chaired by an Officer not below the rank of Director/Deputy Secretary in the Ministry/Department and officers of equivalent rank in the case of attached and subordinate offices.

- ix) The Committee may preferably meet once in a year, to consider all fresh requests received in the last calendar year, in addition to pending applications. In case large number of applications are received at different times during the calendar year, the Committee may meet twice or more to consider the applications.
- x) Prior to every meeting of the Committee, the Applicants whose applications are being considered, should be informed, through email or other forms of communication (including digital modes of communication), of the number of vacancies in each grade for which they are being considered as also the date the Committee is due to meet to consider their Application. However, the Applicant(s) would not be required to have any personal interaction, either with the Administration or the Committee and that the Applicants may not be asked to be present during the meeting of the Committee.
- xi) Every valid application shall be assessed strictly on the basis of the point based merit system formulated by the concerned administrative Ministry/Department.
- xii) The Committee should make its recommendation for appointment on compassionate ground as per the total points obtained by each Applicant, under the applicable point based merit system.
- xiii) The result of each round of selection should be communicated to the Applicants. The points awarded against each parameter alongwith total merit points earned, should be provided to the Applicants through email or other forms of communication.
- xiv) The minutes of each meeting of the Committee including the merit points earned by each Applicant should also be placed, within a period of three weeks from the date of meeting of the Committee, in public domain on the website of the Ministry/Department/Organisation for information of all concerned.
- xv) Recommendation of the Committee should be placed before the competent authority for a decision. If the competent authority disagrees with the committee's recommendation, the case may be referred to the next higher authority for a decision. (O.M No.43019/9/2019-Estt.(D) dated 23.08.2021

14. UNDERTAKING FOR MAINTENANCE OF THE FAMILY OF THE DECEASED EMPLOYEE

A person appointed on compassionate grounds under the scheme should give an undertaking in writing (as in Annexure) that he/she will maintain properly the other family members who were dependent on the Government servant/member of the Armed Forces in question and in case it is proved subsequently (at any time) that the family members are being neglected or are not being maintained properly by him/her, his/her appointment may be terminated forthwith. The question of its legal enforceability has been examined in consultation with the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) and it has been decided that it should be incorporated as one of the additional conditions in the offer of appointment applicable only in the case of appointment on compassionate grounds (O.M No.14014/16/1999-Estt.(D) dated 20.12.1999).

15. REQUEST FOR CHANGE IN POST/PERSON

When a person has been appointed on compassionate grounds to a particular post, the set of circumstances, which led to such appointment, should be deemed to have ceased to exist. Therefore, --

- (a) he/she should strive in his/her career like his/her colleagues for future advancement and any request for appointment to any higher post on considerations of compassion should invariably be rejected.
- (b) an appointment made on compassionate grounds cannot be transferred to any other person and any request for the same on considerations of compassion should invariably be rejected.

16. SENIORITY

A person appointed on compassionate ground in a particular year may be placed at the bottom of all the candidates recruited/appointed through direct recruitment, promotion etc. in that year, irrespective of the date of joining of the candidate on compassionate ground. (Para 4.8 of O.M. No. No.20011/1/2008-Estt.(D) dated 11.11.2010)

17. TERMINATION OF SERVICE

The compassionate appointments can be terminated on the ground of non-compliance of any condition stated in the offer of appointment after providing an opportunity to the compassionate appointee by way of issue of show cause notice asking him/her to explain why his/her services should not be terminated for non-compliance of the condition(s) in the offer of appointment and it is not necessary to follow the procedure prescribed in the Disciplinary Rules/Temporary Service Rules for his purpose.

In order to check its misuse, it has also been decided that this power of termination of services for non-compliance of the condition(s) in the offer of compassionate appointment should vest only with the Secretary in the concerned administrative Ministry/Department not only in respect of persons working in the Ministry/Department proper but also in respect of Attached/Sub-ordinate offices under that Ministry/Department. (O.M. No. 14014/19/2000-Estt(D) dated 24.11. 2000).

18. GENERAL

- (a) Appointments made on grounds of compassion should be done in such a way that persons appointed to the post do have the essential educational and technical qualifications and experience required for the post consistent with the requirement of maintenance of efficiency of administration.
- (b) It is not the intention to restrict employment of a family member of the deceased or medically retired (erstwhile) Group 'D' Government servant to a erstwhile Group 'D' post only. As such, a family member of such erstwhile Group 'D' Government servant can be appointed to a Group 'C'

post for which he/she is educationally qualified, provided a vacancy in Group 'C' post exists for this purpose.

- (c) The Scheme of compassionate appointments was conceived as far back as 1958. Since then a number of welfare measures have been introduced by the Government which have made a significant difference in the financial position of the families of the Government servants dying in harness/retired on medical grounds. An application for compassionate appointment should, however, not be rejected merely on the ground that the family of the Government servant has received the benefits under the various welfare schemes. While considering a request for appointment on compassionate ground a balanced and objective assessment of the financial condition of the family has to be made taking into account its assets and liabilities (including the benefits received under the various welfare schemes mentioned above) and all other relevant factors such as the presence of an earning member, size of the family, ages of the children and the essential needs of the family, etc.
- (d) Compassionate appointment should not be denied or delayed merely on the ground that there is reorganisation in the Ministry/Department/ Office. It should be made available to the person concerned if there is a vacancy meant for compassionate appointment and he or she is found eligible and suitable under the scheme.
- (e) Requests for compassionate appointment consequent on death or retirement on medical grounds of erstwhile Group 'D' staff may be considered with greater sympathy by applying relaxed standards depending on the facts and circumstances of the case.
- (f) Compassionate appointment will have precedence over absorption of surplus employees and regularisation of daily wage/casual workers with/without temporary status.
- (g) Any request to increase the upper age-limit of 55 years for retirement on medical grounds prescribed in para 2(A) (b) and (c) above in respect of Group 'A'/'B'/'C' Government servants and to bring it at par with the upper age-limit of 57 years prescribed therein for erstwhile Group 'D' Government servants on the ground that the age of retirement has recently (May, 1998) been raised from 58 years to 60 years for Group 'A'/'B'/'C' Government servants (which is at par with the age of retirement of 60 years applicable to erstwhile Group 'D' Government servants) or on any other ground should invariably be rejected so as to ensure that the benefit of compassionate appointment available under the scheme is not misused by seeking retirement on medical grounds at the fag end of one's career and also keeping in view the fact that the higher upper age-limit of 57 years has been prescribed therein for erstwhile Group 'D' Government servants for the reason that they are low paid Government servants who get meagre invalid pension in comparison to others.

19. IMPORTANT COURT JUDGEMENTS

The ruling contained in the following judgements may also be kept in view while considering cases of compassionate appointment:-

- (a) The Supreme Court in its judgement dated April 8, 1993 in the case of Auditor General of India and others vs. G. Ananta Rajeswara Rao [(1994) 1 SCC 192] has held that appointment on grounds of descent clearly violates Article 16(2) of the Constitution; but if the appointment is confined to the son or daughter or widow of the Government servant who died in harness and who needs immediate appointment on grounds of immediate need of assistance in the event of there being no other earning member in the family to supplement the loss of income from the bread winner to relieve the economic distress of the members of the family, it is unexceptionable.
- (b) The Supreme Court's judgement dated May 4, 1994 in the case of Umesh Kumar Nagpal vs. State of Haryana and others [JT 1994(3) S.C. 525] has laid down the following important principles in this regard:
 - (i) Only dependents of an employee dying in harness leaving his family in penury and without any means of livelihood can be appointed on compassionate ground.
 - (ii) The posts in Group 'C' and 'D' (formerly Class III and IV) are the lowest posts in non-manual and manual categories and hence they alone can be offered on compassionate grounds and no other post i.e. in the Group 'A' or Group 'B' category is expected or required to be given for this purpose as it is legally impermissible.
 - (iii) The whole object of granting compassionate appointment is to enable the family to tide over the sudden crisis and to relieve the family of the deceased from financial destitution and to help it get over the emergency.
 - (iv) Offering compassionate appointment as a matter of course irrespective of the financial condition of the family of the deceased or medically retired Government servant is legally impermissible.
 - (v) Neither the qualifications of the applicant (dependent family member) nor the post held by the deceased or medically retired Government servant is relevant. If the applicant finds it below his dignity to accept the post offered, he is free not to do so. The post is not offered to cater to his status but to see the family through the economic calamity.
 - (vi) Compassionate appointment cannot be granted after lapse of a reasonable period and it is not a vested right which can be exercised at any time in future.

- (vii) Compassionate appointment cannot be offered by an individual functionary on an ad-hoc basis.
- (c) The Supreme Court has held in its judgement dated February 28, 1995 in the case of the Life Insurance Corporation of India vs. Mrs Asha Rainchandra Ambekar and others [JT 1994(2) S.C. 183] that the High Courts and Administrative Tribunals cannot give direction for appointment of a person on compassionate grounds but can merely direct consideration of the claim for such an appointment.
- (d) The Supreme Court has ruled in the cases of Himachal Road Transport Corporation vs. Dinesh Kumar [JT 1996 (5) S.C. 319] on May 7, 1996 and Hindustan Aeronautics Limited vs. Smt A. Radhika Thirumalai [JT 1996 (9) S.C. 197] on October 9, 1996 that appointment on compassionate grounds can be made only if a vacancy is available for that purpose.
- (e) The Supreme Court has held in its judgement in the case of State of Haryana and others vs. Rani Devi and others [JT 1996(6) S.C. 646] on July 15, 1996 that if the scheme regarding appointment on compassionate ground is extended to all sorts of casual, ad-hoc employees including those who are working as Apprentices, then such scheme cannot be justified on Constitutional grounds.
- (f) The Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 05.04.2011 in Civil Appeal No. 2206 of 2006 filed by Local Administration Department vs. M. Selvanayagam @ Kumaravelu has observed that "an appointment made many years after the death of the employee or without due consideration of the financial resources available to his/her dependents and the financial deprivation caused to the dependents as a result of his death, simply because the claimant happened to be one of the dependents of the deceased employee would be directly in conflict with Articles 14 & 16 of the Constitution and hence, quite bad and illegal. In dealing with cases of compassionate appointment, it is imperative to keep this vital aspect in mind". (O.M. No. 14014/3/2011-Estt.(D) dated 26.07.2012).

ANNEXURE

PROFORMA REGARDING EMPLOYMENT OF DEPENDENTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING WHILE IN
SERVICE/RETIRED ON INVALID PENSION

PART-A

- I. (a) Name of the Government servant (Deceased/retired on medical ground)
- (b) Designation of the Government Servant
- (c) Whether it is MTS(erstwhile Group 'D') or not?
- (d) Date of Birth of the Government Servant
- (e) Date of death/retirement on medical grounds
- (f) Total length of Service rendered
- (g) Whether permanent or temporary
- (h) Whether belonging to SC/ST/OBC
- II. (a) Name of the candidate for appointment
- (b) His/Her relationship with the Government Servant
- (c) Date of Birth
- (d) Educational Qualifications
- (e) Whether any other dependent family member has been appointed on
Compassionate grounds
- III. Particulars of total assets left including amount of
- (a) Family Pension
- (b) D.C.R. Gratuity
- (c) G.P.F. Balance
- (d) Life Insurance Policies (including Postal Life Insurance)
- (e) Moveable and Immovable properties & annual income earned therefrom
by the family.
- (f) C.G.E. Insurance amount
- (g) Encashment of leave
- (h) Any other assets
- Total
- IV. Brief particular of liabilities, if any.
- V. Particulars of all dependent family members of the Government servant (if
Some are employed, their income and whether they are living together or separately

S.No.	Name(s)	Relationship with Govt. servant	Age	Address	Employed or not if employed particulars of employment and emoluments)
1					
2					
3					

VI. Declaration/Undertaking

1. I hereby declare that the facts given by me above are, to the best of my knowledge, correct. If any of the facts herein mentioned are found to be incorrect or false at a future date, my services may be terminated.
2. I hereby also declare that I shall maintain properly the other family members who were dependent on the Government servant/Member of the Armed Forces mentioned against 1(a) of Part-A of this form and in case it is proved at any time that the said family members are being neglected or not being properly maintained by me, my appointment may be terminated.

Date:

Signature of the Candidate

Name.....

Address.....

Mobile No.....

Email ID.....

PART-B

(TO BE FILLED BY OFFICE IN WHICH EMPLOYMENT IS PROPOSED)

- (I) (a) Name of the candidate for Appointment. _____
- (b) His/Her relationship with the Government Servant. _____
- (c) Age (date of birth), education qualification and experience, if any. _____
- (d) Post (Group C) which employment is Proposed. _____
- (e) Whether there is vacancy in that post within the ceiling of 5% prescribed under the scheme of compassionate appointment. _____
- (f) Whether the post to be filled is included in the Central Secretariat Clerical Service or not. _____
- (g) Whether the relevant Recruitment Rules provide for direct recruitment. _____
- (h) Whether the candidate fulfils the requirements of the Recruitment Rules for the post. _____
- (i) Apart from waiver of Employment Exchange/Staff Selection Commission procedure what other relaxation are to be given. _____
- (II) Whether the facts mentioned in Part-A have been verified by the Office and if so, indicate the records. _____
- (III) If the Government servant died/retired on medical grounds more than 5 years back, why the case was not sponsored earlier. _____
- (IV) Personal recommendation of the Head of the Department In the Ministry/Department/Office.
(With his signature and office Stamp/seal) _____